न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

Rajasthan State Legal Services Authority

#Safety First-Minimise Risk

Campaign Against COVID - 19 Activity Report

Rajasthan State Legal Services Authority

Rajasthan High Court Campus, Jaipur - 302005

Phone : 0141 - 2227481, 2227602(Fax) Helpline Number : 9928900900

Email: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, Website: www.rlsa.gov.in

facebook - rslsa.rajasthan, Twitter @LeglAidRajasthan, Instagram legalaidrajasthan

INDRAJIT MAHANTY
CHIEF JUSTICE

RAJASTHAN HIGH COURT
JODHPUR : 0291-2544391
JAIPUR : 0141-2227130

MESSAGE

30.06.2020

This morning Shri Ashok Jain, Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority had come to meet me to seek my leave for his joining and taking over bigger responsibilities at National Legal Services Authority, New Delhi. At that stage he sought from me a message in my capacity as Patron-in-Chief to the final chapter recording of the good work done during his period at RSLSA. It is on his request that I have the pleasure of giving the present message.

It is a matter of immense pleasure that the Rajasthan State Legal Services Authority is going to release Activity Report relating to Campaign Against COVID-19.

Presently the world is facing the worst crisis because of the corona virus pandemic. During this tough time, the activities being undertaken by the RSLSA for the poor, needy and marginalized sections of the society are really commendable, which include Ration distribution to migrant labourers & daily-wagers, organizing Webinars on Stress Management and Cyber Crime, Inspection of Jails/Nari Niketan/Balika Grahc etc. That apart, the Authority has also published and distributed several pamphlets, posters, banners and brochures to create awareness in the public at large for prevention of corona virus.

I congratulate Hon'ble Mr. Justice Sangeet Raj Lodha, Executive Chairman of the RSLSA and his entire team for their hard work in preparation of this report. I am sure that the Authority will continue to serve the society with same commitment and dedication in future as well.

I am confident that this publication will receive applaud throughout the country and will definitely motivate the public at large to make contribution for the society during this pandemic.

I wish the publication a grand success.

30/6

(INDRAJIT MAHANTY)

RESIDENCE : C-2, P.W.D. ROAD, JODHPUR - 342 001 ✆ : 2430556, FAX : 2430565
A-1, GANDHI NAGAR, JAIPUR - 302015 ✆ : 2706336, FAX : 2710459

JUSTICE SANGEET LODHA

Executive Chairman
Rajasthan State Legal Services Authority

Foreword

Legal Services Institutions in the State of Rajasthan have been forthcoming in assisting the poor, needy and underprivileged affected by the unprecedented crisis caused by the spread of COVID-19 in India. The Institutions have worked with utmost dedication to reach out to the affected and distressed persons across the State of Rajasthan, and tended to their immediate needs. Considerable efforts have been made to ensure that persons are not denied access to justice by reaching out to as many people as possible, and by providing them with the required support to mitigate the distress being suffered by such people and facilitate the actualization of their rights.

This report delineates the various legal aid activities carried out across the State of Rajasthan under the Campaign against Covid-19 with a tagline "Safety first-Minimize Risk" by RSLSA along with its 35 District Legal Services Authorities (DLSAs) and 201 Taluka Legal Services Committees (TLSCs). It reflects the impact made due to the efforts put by the Legal Services Institutions to assist the unfortunate and unprivileged persons in these challenging times, promptly and dutifully.

During the campaign, RSLSA collaborated and coordinated with the various stakeholders to maximize the reach of the assistance offered by it and to spread the benefits of such assistance. In the face of the pandemic and need for social distancing, RSLSA provided considerable support to the High-Powered Committee for release of prisoners and also provided legal aid assistance to the Under Trial prisoners. In many areas, legal aid workers helped with distribution of food, and also coordinated with other departments and Civil Societies to arrange the required help for people who were stranded. Legal aid help lines were operating round the clock to provide legal assistance and guidance with ease of accessibility. During the lockdown, RSLSA also extensively used digital platforms such as webinars and social media tools to conduct informative sessions on different areas of law. These are some of the examples of the work done during the campaign period.

The calamity has demonstrated the need for disaster preparedness, use of technology and to swiftly scale up its operations to reach out to the maximum number of people and provide them their entitlements. The Legal Services Institutions across the State of Rajasthan have systematically scaled up their activities and are appropriately responding to the sufferings arising out of the socio-legal impact of the pandemic.

I congratulate Mr. Ashok Jain, Member Secretary, RSLSA and the functionaries of RSLSA and DLSAs, who have been working tirelessly in implementing the expended vision of Access to Justice. I also appreciate the services rendered by the Panel Lawyers and Para Legal Volunteers (PLVs) during the pandemic despite all odds. I hope that legal aid and assistance being provided by Legal Services Institutions will help people sail through these tough times. I believe that RSLSA will continue to smoothen the impact and lay down a pathway of stability amidst chaos.

(Sangeet Lodha)

Content

S. No.	Particular	Page No.
1.	*Summary Report of Action against COVID - 19*	1-34
	• **Activities before Lock Down**	2 - 4
	• Awareness Programme	3
	• Awareness through IEC Material	3
	• Mobile Van Shows	4
	• Awareness through Social Media	4
	• **Activities during Lock Down**	5-18
	• Bail/Parole to Jail Inmates	5
	• Ration Distribution	6
	• Helpline (24*7)	7
	• Psychological Counseling	7
	• Webinars	9
	• Online Meeting Platform	10
	• Guidelines to work further	10
	• Inspection	13
	• Services Provided	20
	• Cyber Crime & Cyber Security Helpdesk	21
	• Balwani	22
	• COVID-19 - Campaign at a Glance	32
2.	*Activities undertaken in Districts of Rajasthan*	
	• Ajmer	35
	• Alwar	40
	• Balotra	43
	• Banswara	45
	• Baran	49

- Bharatpur 57
- Bhilwara 61
- Bikaner 65
- Chittorgarh 67
- Churu 71
- Dausa 75
- Dholpur 79
- Dungarpur 82
- Hanumangarh 84
- Jaipur Metropolitan 87
- Jaisalmer 89
- Jalore 92
- Jhunjhunnu 95
- Jodhpur Metro 100
- Karauli 102
- Kota 106
- Merta 110
- Pratapgarh 113
- Rajsamand 116
- Sawai Madhopur 120
- Sikar 122
- Tonk 124
- Udaipur 126

3. *Publications* **132- 133**

Rajasthan State Legal Services Authority

#Safety First-Minimise Risk

Action taken in wake of COVID- 19

India has been facing the health crisis Covid-19 pandemic. The virus has spread to every State. Cases are rising daily including Rajasthan. The pandemic is moving like a wave—one that may yet crash on those least able to lope with. The COVID-19 crisis is having a substantial impact on all aspects of everyone's lives. The immediate focus and ongoing priority is inevitably and correctly on public health and is likely to remain that way for the coming weeks and months. Government of Rajasthan is taking all necessary steps to avoid spread of the virus in Rajasthan with strict compliance of lock down.

The most important factor in preventing the spread of the virus locally is to empower the citizens with the right information and taking precautions as per the advisories being issued by Ministry of Health & Family Welfare.

The worst victims of COVID -19 are daily wages workers i.e. construction site workers, carpenters, plumbers, cart pullers, painters and many more who earn their everyday bread all the way through day to day employment.

Considering the seriousness of COVID-19, RSLSA acknowledged the issue and start acting in the best interests of public at large wherein take up the certain issues in order to minimize problems assailing the common man.

The action of RSLSA during COVID-19 may be divided into two phases i.e. before Lock Down and during Lock Down. Before Lock Down there were need to generate awareness about the COVID – 19 to prevent spread of virus in community where-as during the Lock Down action should be taken to help poor, needy and marginalized section to provide basic amenities to survive and to mobilize people to follow the guidelines issued by Government as well as strict compliance of lock down.

Activities before Lockdown

Awareness Programme

RSLSA and all the DLSAs were geared up public awareness activities regarding prevention of corona virus. RSLSA issued directions to all DLSAs to organise regular activities in cooperation with other stake holders to educate community members about Corona prevention. Various different and innovative activities i.e. awareness through Auto and Bike ride, Bull Cart, Social Media as well as Print & Electronic Media were carried out through out the State.

1. Awareness through IEC Material

More than 50 type of pamphlets, posters and brochures were prepared printed and distributed amongst the masses.

NOVEL CORONAVIRUS
(COVID-19)
Together we can fight Coronavirus

खुद को और दूसरों को कोरोना वायरस
COVID19 से बचायें
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

सोशल डिस्टेंसिंग की पावर
जागरूक बने, औरों को भी बनायें
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
दैनिक कामगारों, श्रमिकों के
लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
के आंदोलन में आप भी भागीदार बनें

गलत संदेशों से बचें, सही तथ्य जानें
जागरूक बने, औरों को भी बनायें
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

कोरोना वायरस

कोरोना वायरस से युद्ध बाहर मैदान में जाकर नहीं
घर पर अपनों के बीच रहकर जीतना है।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

दूसरो की मदद भी सावधानी और
सतर्कता से करनी है
NO CROWD
NO SOCIAL GATHERING
NO GROUP KITCHEN
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

घरेलू टोटके
अपुष्ट समाचार
बिना जांच का एडवेंचर
कोरोना वायरस के
मामले में अत्यंत हानिकारक है
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(COVID 19)

कोरोना वायरस से ना घबराएं

कोरोना वायरस से ना घबराएं
ये सावधानियाँ अपनाए
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

Highlights

18*23 Size informative Sun Boards affixed in all Court campuses of Rajasthan including Rajasthan High Court.

Pamphlets in local and Hindi language printed and disseminated among the masses with the help of PLVs and Activists.

2. Mobile Van Shows

Informative videos and programmes such as short videos and PPTs were prepared and shown to masses. Announcement were made through Rikshaws & Auto Rikshaws.

Highlights

Bullock Cart shows carrying loud speakers ferries organised in Districts as well as in rural areas. Auto Rickshaws and Rickshaws covered with informative banners moved all the way through District. Message of Social Distancing is displayed through informative banners

3. Awareness through Social Media

Still images and videos were prepared and uploaded on the website, you tube as well as on face book page of RSLSA.

Activities during Lockdown

On 24 March, nationwide lockdown for 21 days limiting movement of the public was declared after 14 hours voluntary public curfew on 22 March. As a result of lock down many of the labors, daily wages workers, poor, needy and downtrodden person got affected as they survive solely over their daily earning through deployment or otherwise. The situation was more wretched where these workers were or other States that to not entitled to get benefits of various schemes run by State Govt. Therefore, there was a big question before RSLSA and DLSAS as being legal services institutions to protect their right to food in such starving situation.

Besides, the issue of jail inmates or person living in various homes or niketans was also standing unaddressed during pendamic. Their safety, security and adequate health care was to be addressed due to their confinement or dependence.

Programme Telecasted/ Broadcasted	Numbers of Programme
All India Radio Programm –	34
TV Programme	5

Considering all, quality actions were taken during lock down which are as follow:

Bail/Parole to Jail Inmates

Taking into consideration the possible threat of transmission and fatal consequences of COVD-19 and to ensure protection of health and welfare of the prisoner's Hon'ble Supreme Court of India had passed an order on 23.03.2020 under Suo Moto Writ Petition (C) No. 1/2020

directing all the States. RSLSA had made meticulous efforts to comply given directions.

- Ensure maximum possible distancing among the prisoners including undertrails;
- Stop the physical presence of the prisoners before the Court and recourse to video conferencing for all purposes;
- Stop transferring of prisoners from one prison to another for routine reasons;
- Medical assistance to ill prisoners;
- Develop prison specific readiness and response plan;

Besides, High Power Committee comprising of Chairman of the State Legal Services Committee, Principal Secretary (Home/Prison) and Director General of Prison(s) was constituted in Rajasthan meeting every week to consider the cases wherein inmates could be released on parole/bail. Total 152 Jail in mates were released on Parole as ber recommendation of HPC.

Monitoring Team at the State Level was also constituted with regard to prison and remand homes.

Outcome of the Initiative

Under Trial Review Committee

Total Number of UTRC meeting held (21 March to 30 June)	448
Total Number of Prisoners Identified for released (21 March to 30 June)	1562
Total Number of Prisoners Released (21 March to 30 June)	604

Ration Distribution

RSLSA is ensured food supply to migrant laborers, daily wagers and urban poors. Under this initiative RSLSA along with its 35 DLSAs distributed essential commodities like flour, rice, vegetables, pulses, food packets to daily wages workers & also to people in need across Rajasthan. Door to Door food packets and ration were distributed to families.

In the process of serving poor, needy and marginalized section of the society, RSLSA had made tremendous accomplishment as served 16,30,153 persons with Ration and food packets across the State not only the people belonging to Rajasthan but also migrant laborers belongs to other States i.e. Bangal, Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Manipur.

Helpline (24*7)

Apart from regular Helpline Number 9928090900 a 24*7 Helpline mobile numbers in each District as well as at State level have been established in DLSA / RSLSA for speedy redressal of the grievances.

Aforesaid Helpline numbers are still functional 24*7 in case any grievance is reported by any person seeking any legal aid, ration any concern to corona etc. Immediate action is taken by

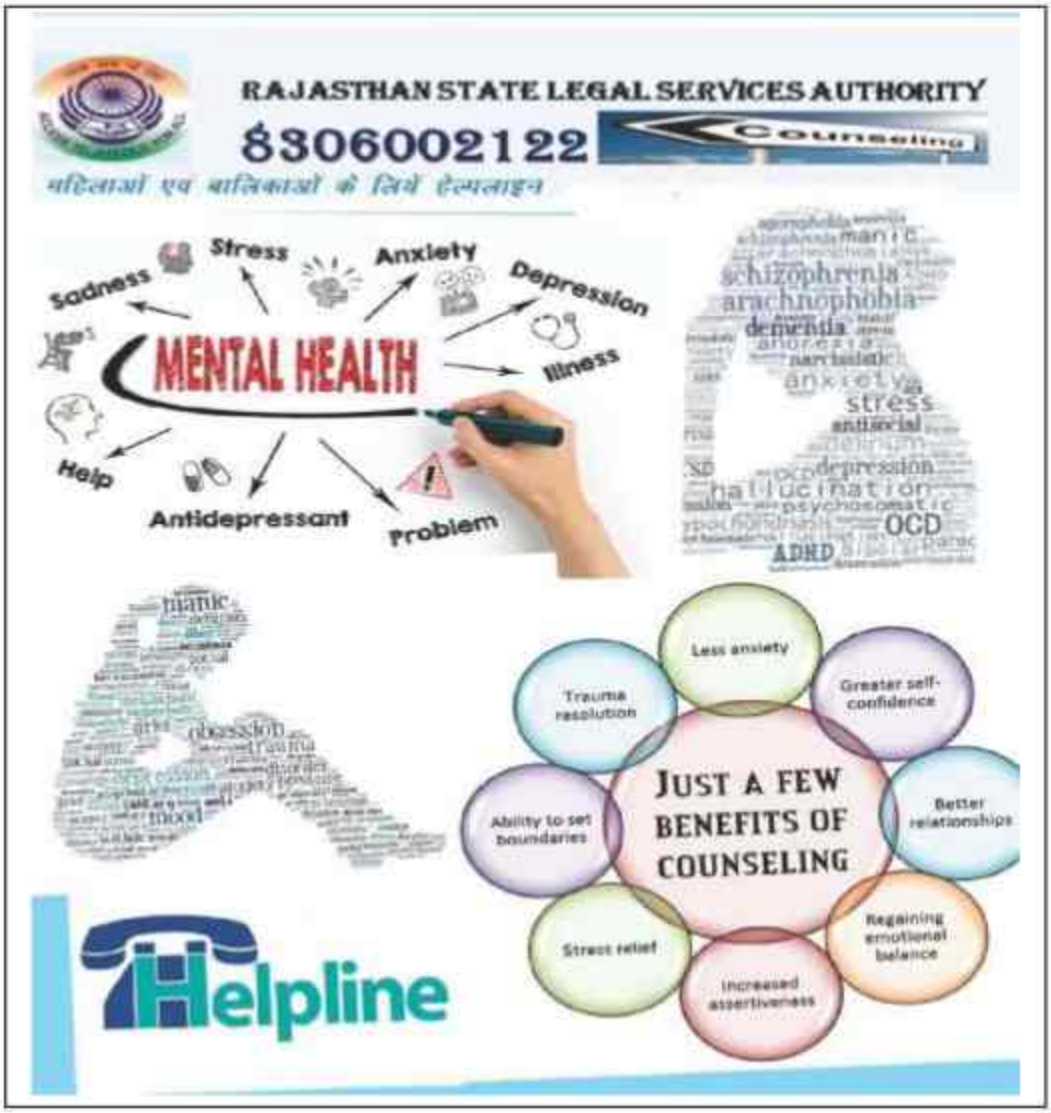

Respective DLSA /RSLSA.

Psychological Counseling over Phone

A new notion through mobile services has been introduced providing psychological counseling services over mobile phone under amid of corona wherein a helpline number is established to which a professional counselor will provide counseling to seekers.

FRONT OFFICE HELPLINE NUMBERS OF DLSAs / RHCLSCs OF RAJASTHAN

S.No.	DISTRICT	HELP LINE MOBILE NUMBER	STAFF DEPUTED TO ATTEND CALL ON HELPLINE NUMBER	
			NAME OF STAFF	PERSONAL MOBILE NUMBER OF STAFF
1.	AJMER	8306002101	Om Prakash Bashita	9649488999
2.	ALWAR	8306002102	Anil Parnami	7976729813
3.	BALOTRA	8306002103	Rajendra Kumar	9549160208
4.	BANSWARA	8306002104	Hitesh Chobisa	7891676014
5.	BARAN	8306002105	Nagrishikesh	9887408495
6.	BHARATPUR	8306002106	Rahul Gupta	9783961122
7.	BHILWARA	8306002107	Ganesh Soni	9314557007
8.	BIKANER	8306002108	Gaurav Panwar	9784234418
9.	BUNDI	8306002109	Chandraveer	9529031964
10.	CHURU	8306002110	Pratap Singh	9784977072
11.	CHITTORGARH	8306002112	Prakash	8005718165
12.	DAUSA	8306002114	Ram Rai Meena	7062774414
13.	DHOLPUR	8306002115	Surendra Singh	8005564458
14.	DUNGARPUR	8306002116	Kanhaiya Lal Bhagora	9588047004
15.	GANGANAGAR	8306002117	Ranveer Kumar	9782062345
16.	HANUMANGARH	8306002118	Omprakash Devra	9269095432
17.	JAIPUR METRO	8306002119	Inder Sharma	9928186247
18.	JAIPUR DISTRICT	8306002120	Kuldeep Singhal	7689891353
19.	JAISALMER	8306002123	Akash Khatri	8875369090
20.	JALORE	8306002126	Kailash Kumar	9549414766
21.	JHALAWAR	8306002127	Rahul Jain	9314108838
22.	JHUNJHUNU	8306002128	Shalu Saroj	9413670728
23.	JODHPUR METRO	8306002021	Dinesh Acharya	8949908981
24.	JODHPUR DISTRICT	8306002129	Surabhi Kachchawaha	9571477521
25.	KARAULI	8306002130	Ajeet Singh	6375123943
26.	KOTA	8306002131	Akash Meena	9887853040
27.	MERTA	8306002132	Kishan Sharma	9309220409
28.	PALI	8306002166	Rakesh Meena	7737672477
29.	PRATAPGARH	8306002134	Alimuddin Qureshi	9829608186
30.	RAJSAMAND	8306002135	Hemant Paliwal	9887311395
31.	SAWAI MADHOPUR	8306002136	Umesh Sahn	9929689570
32.	SIKAR	8306002137	Hemant Meena	9251160153
33.	SIROHI	8306002138	Yogesh	8209890382
34.	TONK	8306002139	Naveel Khan	7737310806
35.	UDAIPUR	8306002022	Santosh	9352506571
36.	RHCLSC JODHPUR	8306002140	Mohammad Irfan	7597399786
37.	Counselling @ Jaipur	8306002122	Gargi Vishnoi	

Webinar

situation is creating enormous challenges to the way of access to justice for all to keep legal services institutions working effectively. During lockdown webinars helped RSLSA at the moment to thrive in times of uncertainty. Trainings, workshops and seminars were organised by RSLSA to develop and retain talent. Training through webinar increasing telent, personal growth, engagement and retention and leadership development as well as explore how we can take better care of ourselves and build more resilience.

Webinar on Stress Management

A Webinar was organised on Stress Management for all the secretaries of District Legal Services Authority on 18th April, 2020. Ms. Gargi Vishnoi, Counseling Psychologist, FORTIS Hospital addressed all the participant and taught all the participant to how to manage stress while working during epidemic.

Webinar on Cyber Crime

A Webinar on Cyber Crime & Cyber Law Awareness was organised by RSLSA on 2nd May, 2020 wherein 1098 participants including Lawyers, Panel Lawyers, PLVs, Activists, Judicial Officers and others participated. The webinar was addressed by Mr. Nisheeth Dixit, Advocate, Rajasthan High Court. Apart from these more then 50 webinar have been organised across the State.

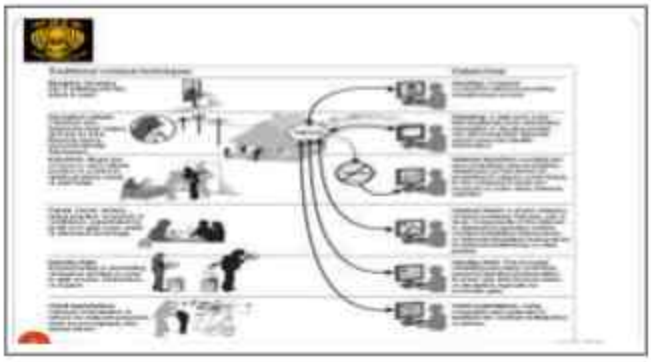

Online Meeting Platform

During amid of COVID-19, to maintain social distancing and to avoid exposure' RSLSA, is in the process of developing of Online solution to conduct meeting with various stakeholder sitting in the office. Therefore, E-Meeting Platform is created on CISCO – Webex. through which meeting with Secretaries and other stakeholders is being Hosted.

Guidelines to work are further

A Standard operating Procedure (SOP) has been issued to all 35 DLSAs, 181 TLSCs and 2 RHCLSCs describing measures to be taken while functioning during pandemic wherein all authorities have been directed to ensure presence of inmates in Court via VC, Online Application for Legal Aid, VCS, etc, Organization of Online Lok Adalat, Mediation and other activities.

hindustantimes

638 jail inmates released in Raj to prevent corona spread

Between March 25 and April 9, a total of 492 inmates who were lodged in various jails were granted bail; 92 were granted bail under section 439 of CrPC and 400 under section 437 of CrPC

[redacted]

लॉकडाउन 2.0 घर में रहने का संकल्प एक नई सुबह कल लाएगा

1.50 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी

हाईकोर्ट का दखल, लॉकडाउन में हुआ नाबालिग का गर्भपात

पत्रिका

लॉकडाउन में करवाया भर्ती

भाई का हौसला: नहीं छूटेगी बहन की पढ़ाई

दो सौ किमी दूर से आया ई-मेल, रुका बाल विवाह

जयपुर @ पत्रिका. लगभग 200 किलोमीटर दूर करौली जिले के हिंडौन तहसील क्षेत्र में एक भाई ने अनुकरणीय हौसला दिखाया है। उसने दो लाइन का ई-मेल भेजकर गुहार लगाई कि नाबालिग बहन की जबरन शादी कराई जा रही है, रुकवाएं। इस पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हरकत में आया और बाल विवाह रुकवाया।

रालसा सचिव एके जैन ने बताया कि हिंडौन तहसील क्षेत्र में 2 लड़कियों का विवाह होने वाला था। इनमें कक्षा 10 की साढ़े सोलह वर्षीय छात्रा भी थी। लड़की के भाई का ई-मेल आने पर करौली जिला कलक्टर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए परिजनों को समझाया। शादी नहीं करने को पाबंद किया। अब छात्रा पढ़ सकेगी। रालसा सचिव के अनुसार जिलों से 5 शिकायतें आईं। बाल विवाह रुकवाए गए।

राज्य का हाल खराब

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और यंग लाइव्ज की रिपोर्ट के अनुसार 2011 की जनगणना में बीते दशक में कुल 1.2 करोड़ बाल विवाह हुए। इस मामले में राजस्थान के हालात सबसे खराब रहे हैं। यहां 4.69 फीसदी लड़कों की शादी 21 साल से कम उम्र में हुई। इसी तरह 2.5 फीसदी लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो गई।

मजदूरों के अधिकारों का संरक्षण करेगा रालसा

जयपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) ने सभी जिला प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि उनके जिले में रहने वाले मजदूर और राह में फंसे दूसरे लोगों की मदद का प्रयास करें। जो लोग पदयात्रा कर रहे हैं उनके रूकने और विश्राम के साथ ही खाने, पानी सहित अन्य वस्तुओं का इंतजाम करवाने के निर्देश दिए। प्राधिकरण सचिव एके जैन ने बताया कि सभी जिला प्राधिकरण के सचिव अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार को संरक्षित करने के लिए भोजन, आवास के इंतजाम करवाने की व्यवस्था करेंगे।

hindustantimes

Migrants in state not paid wages since March, say labour bodies

FINDINGS Organisations say labourers not paid dues since lockdown began, forcing many to return to their homes

Rajasthan government releases 630 inmates to decongest jails

District Legal Services Authority staff filed bail pleas on behalf of prisoners

JAIPUR

Over 630 inmates of various jails in Rajasthan have been released in compliance with the Supreme Court's recent direction to decongest prisons for preventing the spread of COVID-19. The District Legal Services Authorities filed applications for bail and parole on behalf of prisoners in the courts.

People stand in a queue to purchase vegetables at a locality in Jaipur on Monday.

The Prisons Department has also shifted over 2,200 inmates from overcrowded jails and sub-jails to less crowded prisons. Besides, there is no inmate diagnosed with COVID-19 or showing symptoms of virus infection in any of the jails in the State.

State Legal Services Authority member-secretary Ashok Kumar Jain told The Hindu here on Monday that the bail and parole had been granted to the first-time offenders and those booked in connection with the crimes punishable with the sentence of imprisonment up to seven years.

Petty offences

The Undertrial Review Committees, headed by District & Sessions Judges, have also released the jail inmates booked for petty offences.

Mr. Jain said the committees were holding weekly meetings to identify the accused who could be released during the COVID-19 pandemic.

The State government amended the Rajasthan Prisoners (Release on Parole) Rules, 1958, through a Gazette notification earlier this month by inserting a provision for special parole of four weeks for certain categories of prisoners and "deemed extension" till May 3 for the prisoners already on parole.

A high power committee headed by State Legal Services Authority's executive chairman Justice Sangeet Lodha has issued directions for taking measures, such as creation of isolation wards in the jail, quarantine of new prisoners, including the foreign nationals, for 14 days, and inclusion of nutritious food in the dietary chart of prisoners.

98 new cases

Meanwhile, with 98 new COVID-19 positive cases detected in the State on Monday, the tally has increased to 1,576. Fifty of Monday's cases were found in Jaipur alone. Twenty-five patients have died so far, while 205 have recovered.

पुलिस ने सात बाल श्रमिकों को मुक्त करवाकर भेजा क्वारेंटाइन सेंटर

लॉकडाउन में फैक्ट्री में काम करते मिले बाल श्रमिक

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर कार्रवाई

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

बीकानेर. लॉकडाउन के दौरान गजनेर थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में सात बाल श्रमिकों को बंधक बनाकर मजदूरी करवाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर गजनेर पुलिस ने फैक्ट्री से बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है।

वहीं फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर को शिकायत मिली थी कि कोलायत तहसील के गोलरी गांव स्थित सिरामैक्स ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में उड़ीसा के पांच-सात किशोरों को बंधक बनाकर जबरन मजदूरी करवाई जा रही है। इस पर जयपुर प्राधिकरण के अधिकारियों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पवन कुमार अग्रवाल ने जिला पुलिस अधीक्षक एवं ताल्लुका विधिक सेवा समिति कोलायत के अध्यक्ष नवनीत कुमार अग्रवाल को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद बुधवार को मानव तस्करी प्रकोष्ठ बीकानेर एवं गजनेर पुलिस ने गोलरी फांटा स्थित फैक्ट्री में दबिश दी। तब फैक्ट्री में लॉकडाउन के बावजूद सात बाल श्रमिक काम करते मिले। पुलिस ने सभी बाल श्रमिकों को मुक्त करवाकर फैक्ट्री ठेकेदार के खिलाफ किशोर न्यास अधिनियम व बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम एवं भादंसं की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। फैक्ट्री से मुक्त कराने के बाद सभी बालकों की कोरोना संबंधी जांच करवाकर कोलायत में ही बने क्वारेंटाइन सेंटर में भिजवाया गया है।

Ensuring safe stay during Lockdown Inspections and Action to Activate One Stop Crisis Centers

Women and children constitute one of the vulnerable sections, who are in need of legal aid and assistance as during the nationwide lockdown. The complaints of domestic violence against women are rising and their options for registering complaints under the lockdown are now very limited. As per statistics of National Commission of Women the number of complaints received by NCW has increased from 30 in the first week of March to 69 in between 23 March and 1 April.

Alike the health and well being of the resident of Nari Niketan / Women Homes / Balika Grah etc. are in threat during amid of COVID-19. Women living in homes should to be provided standard and hygienic conditions. Therefore, there has been an immediate need to take effecting steps to prevent spread of COVID -19 in Nari Niketan / Women Homes / Balika Grah etc.

Action Taken

Effective Functioning of One Stop Crisis Centres

Inspection of Nari Niketan

Inspection of Balika Grah

Therefore, as per directions of Hon'ble Executive Chairman, RSLSA in order to more accessible to needy women who find themselves in abusive state and to take into consideration the plight and need for protection of women and girls in Nari Niketans and Women's / Girls shelter homes run by State government effective actions have been taken by RSLSA across the State.

Effective Functioning of One Stop Crisis Centres

One Stop Crisis Centres are meant to facilitate legal aid and counseling to access to justice for women affected by violence. RSLSA has provided the services of woman Panel Advocates to provide legal aid/ assistance on these centres. The nominated empanelled Advocate in each District is providing requisite legal aid to needy women through telephone or through video tools.

S. No.	Name of DLSA	Name of Panel Advocates to look after OSCC	Mobile No.
1	Ajmer	Kavita Sharma	9460783659
		Khushbu Parashar	9929330363
2	Alwar	Seema Saini	9413443344
		Rakhi Yaduvanshi	9314644760
3	Balotra	Mamta Rathi	9460666884
4	Baran	Yatendra Gautam	9929339342
		Rajendra Kumar Suman	9829584618
		Balmukund Gurjar	9413827063
		Brijmohan Goyal	9460938877
5	Banswara	Amzad Khan Pathan	9413493520
6	Bharatpur	Neeraj Sharma	9694325444
		Hemant Chahar	9887243893
7	Bhilwara	Kailash Kanwar Charan	9610440097 6378143897
		Sanju Bapna	9214599386 9414621510
8	Bikaner	Krishna Jansevi	9829373154
9	Bundi	Himanshi Sharma	8005867632
		Rekha Maheshwari	9460033313
10	Churu	Sanjeev Kumar Verma	9413192444
		Rajendra Kumar Rajpurohit	9414985926
11	Chittorgarh	Seema Bharti	9413950777
		Sulakshna Sanchora	7014656149
12	Dausa	Seema Bhardwaj	7597301528
13	Dholpur	Ramdutt shroti	9351352117
14	Dungarpur	Jitendra Singh Chauhan	9982760095
15	Ganganagar	Bhawna Swami	9950951444
		Jyoti Goswami	9929627748

16	Hanumangarh	Raeshmi Sihag	9414507095
		Sunita Verma	9413951215
17	Jaipur metro	Sunita Meena	8302975440
		Kavita Tank	9413689249
18	Jaisalmer	Helpline/Front office Number	8306002123
19	Jalore	Sardar Khan Khokhar	9414135236
		Bhanwar Lal Solanki	9413775958
20	Jhalawar	Rekha Mehar	9610186699
21	Jhunjhunu	Meena Kumari	9413848963
		Kiran Biyala	9414332111
		Vijay Singh Shekhawat	9636510721
22	Jodhpur Metro	Ranjana Singh Meratiya	9351338080
		Shital Sharma	9461007127
23	Kota	Aruna Patni	7742107711
		Sonal Vijay	8890062683
24	Karauli	Usman Ahmed	9887080061
		Rajesh Kumar Sharma	8094139313
25	Merta	Om Prakash Purohit	9414350152
		Prem Raj Gehlot	9413413737
26	Pali	Devi Bamaniya	7737707769
27	Pratapgarh	Kala Arya	9414928772
		Vijay Laxmi Arya	9414928771
28	Rajsmand	Varsha atul paliwal	9828179094
		Usha jhala	9166518477
29	Sawai Madhopur	Rajendra Yadav	9414287461
		Hanuman Prasad Gurjar	7976773342
30	Sikar	Neetu Jangid	9414551003
		Chandni Jain	9251708321
		Raksha Dodrajka	7597777675
31	Sirohi	Meenakshi Gautam	9413409513
		Seema Khatri	9352936475
32	Tonk	Nisha Sharma	9460474985
33	Udaipur	Chandraprabha Chandrawat	9251829359
		Bhoomika Chaubisa	8209727588
		Jeevan Singh Rav	9460911509

A Step Ahead

Beside the stereotype legal aid assistance, RSLSA has come a step ahead through providing legal assistance via digital mechanism as women in need is provided legal aid / advice / counseling on every OSC through their Advocates and psychological counselor over phone as well as through video tools i.e. Webex. The same is made popularized so that many more can access the available facilities.

Launch Legal Aid Helpline Number

Meeting the need of hour special 24*7 helpline number exclusively for women has been launched in each District. Aforesaid numbers are made functional and are being attended by panel lawyers.

Filing Applications

Applications/petitions are being filed before concerned Courts and applications received through email or online portal are being dealt on daily basis keeping in view the urgency of the issue.

Emergency Response and Rescue Services

Medical assistance

Assistance to women in lodging Complaint

Psycho-social support/ counselling

Legal Aid and Counselling

Shelter

Video Conferencing Facility

Jaisalmer

Dausa

Ajmer

Jhunjhunu

Sirohi

Jhalawar

Banswara

Sawai Madhopur

Churu

Baran

Sri Ganganagar

Inspecction of Nari Niketan

Safe stay is the prime right of women living in shelter homes especially adverse health crisis. The homes are overcrowded with unwell and unhygienic conditions that keep them at high risk of spread of COVID -19. Therefore, DLSAs have been directed to inspect Nari Niketan situated in their respective Districts to ensure adequate health, hygiene and medical facility to avoid the spread of any infection. This is also been directed to ensure adequate supply of essential articles i.e. medicines, ration, soap, sanitary napkins etc during lockdown.

Inspection of Girls' Shelter Homes

There are 7 Girls Shelter Homes at divisional head quarter run by Govt. and many more run by private institutions across the State wherein hundreds of girls are residing. The homes shall have adequate facilities and girl child must be safe physically, psychologically and sexually. Therefore, during the pandemic also, girls homes whether run by Govt. or private institutions have been inspected by concerned DLSAs to ensure adequate supply of essential commodities during lockdown along with proper health care, hygiene and sanitization.

Highlights

Homes have been sanitized with Sodium Hypochlorite

Cleaning regularly

Medicines and Sanitary Napkins are made available

Ration is provided where shortfall

Success

The Shelter Home Oongda, Jhadole was facing shortfall of Ration, that fact came into the notice of DLSA, Udaipur. The DLSA, immediately provided Ration to them at their own level.

Sri Ganga Nagar

Kota

Jaisalmer

Jaipur

Ajmer

Baran

Churu

Dungarpur

Working Round the Clock

During this unprecedented time, every movement is getting affected, all offices are locked, and functioning of Govt. authorities and private functionaries is very limited and only urgent work is being done wherein RSLSA along with its 35 DLSAs and 2 RHCLSCs has been functioning round the clock to ensure that basic needs of each and every needy person to be fulfilled as well as legal assistance / advice/ counseling is provided in case of immediate need and action.

Services Provided

Effective Implementation of Victim Compensation Scheme

Though the COVID-19 pandemic affected the service providing system , but RSLSA along with its DLSAS did not pent upon whilst continue to provide legal aid to the poor, downtrodden and needy person at their door step and compensation to the victims of offences.

The data of legal aid provided and compensation under victim compensation scheme are illustrative wherein 2597 have been granted legal aid and compensation of Rs. 4,70,99,500 to 203 have been given to victimh till June 2020.

Clearance of Accounts under 4 (C) & Payment to Panel Lawyers

The payment to all concerned from the grant received under Section 4(c) provided by NALSA is made so that no body suffers from nonpayment in this critical situation. Equally budget received from State Govt. is also utilized. All the bills raised / submitted by Panel Lawyers under budget head 12 of PPSS (for payment of Legal Aid Cases) have been cleared and payment of Rs. 75, 00,000 is made across the State in order to secure the livelihood of the legal aid counsels.

CYBER CRIME AND CYBER SECURITY - HELPDESK

Cyber Help Desk

Cyberspace is a massive community of millions and billions of users and websites. People are using is for various reasons i.e. shopping, movies, music, learning and e-commerce etc. in this era of technology, access to internet is in the reach of everybody. Threat of spreading of Corona Virus nationwide lockdown was imposed by the Govt of India from 25th March, 2020 which resulted into immobilization of public at large and halting of all other activities except of essential services. This consequently changed the working pattern and strategy of all sectors across India. India is also not legging behind in the race of progress with other parts of the world. The more access to internet and e world also increased the rate of cyber crime. The presence "online" with affordable mobile handsets and high – speed data plans welcoming cyber crime. India has witnessed more than 450% rise in cyber crime victims. The developing scenario of crime and need of cyber security and safety, RSLSA has come up with a new endeavor of establishing Cyber Help Desk at State Level.

Aim

To help the needy suffering from cyber crime and to increase Cyber Awareness

Objective

- To create a secure cyber space;
- To raise Awareness about cyber crime;
- To create culture of cyber security;

Cyber Help Desk is functional 24*7. A dedicated Mobile Helpline is established in wherein any person can call to get advice for any issue related to cyber crime or cyber security. Experts in the field of cyber crime and cyber security is constituted to provide their services.

Panel of experts is being utilized for advice, assistance or aid for Cyber Help Desk.

Bal-Vani
Joint Venture of RSLSA, UNICEF and Aakashwani for Adolescence and Childern

The total population of Rajasthan is 6.89 crore, out of which there are 1,06,49,504 number of children. About 51,500,352 people live in remote rural areas of Rajasthan, which is 75.01 percent of the total population of Rajasthan. For rural public, facilities like Doordarshan, Mobile, Internet etc. are not available, but radio is a medium which is available to almost every rural person. Radio is the only means of entertainment that helps the rural areas to keep in touch with the rest of India. Even today, All India Radio / Akashwani is working on its popular phrase, "Bahujan Hitay, Bahujan Sukhay" and is providing information, education and entertainment to the common people. Radio has an important role in socio-cultural development in India. Radio is creating awareness through its programs especially for the overall development of rural areas.

In the present situation, the entire world is struggling with the epidemic of COVID - 19. The people of India are also not away from this. In India, people are confined at homes. The government has declared lockdown in the entire country, its consequences will have to be borne by all the people. Among all these, the class that is the future of each nation is our children. During the lockdown, our children have been imprisoned in their homes. Their physical and mental activities are essential in the overall development of children. All the schools, parks, sports venues, entertainment venues etc. are closed. The situation of children living in the remote rural areas of India is even more alarming. These children are being psychologically affected at this time.

In these circumstances, it is natural for children to go into depression, become irritable and defiant. Radio is the medium of communication in these remote areas. In the present circumstances, only through radio, we can reach to these children and know their feelings.

Therefore, in this perspective it is necessary to maintain dialogue with the children living at home. In this regard, the Rajasthan State Legal Services Authority, taking the initiative in collaboration with Unicef, along with the Akashwani Center, decided to broadcast an hour-long program "Balavani" for children. This program was initially planned for seven days and later on decided broadcast it continuously for thirty days.

The purpose of the program was to create legal consciousness among children with ease as well as entertainment. So that the children can be made aware of their legal rights, enable them to raise their voice against the atrocities/crime on themselves and the people living around them whilest showcase their mastership.

In this regard, Rajasthan State Legal Services Authority, with the support of UNICEF, floated this program. The outline of the program was as follows:

Name of the program: - Bal Vani

Program Profile:

1. This program will be conducted by the children themselves.
2. The broadcast duration of the program will be one hour.
3. Children participating in the program will be able to get their compositions, other songs, poems, stories, jokes or any other record recorded.
4. Apart from the presentation of children in the program, a panel of qualified teachers, child advisors, storytellers, child heroes, mothers, educationists etc. will be formed and discussions will be organized among them.
5. A general promotion will also be organized for the enlightenment of children.
6. In the coming episodes of the program, children will be made aware of the general legal information in easy and simple language.
7. In this program, along with entertainment, children will be informed about their legal rights and the steps to be taken against exploitation / crimes.

Target Group - 3Cr Children

Adolescent

Recording-

are being received on telephone number:

0141-2200600, 0141-2366477

Broadcast Information: - Aakashwani center in Rajasthan, Jaipur, Ajmer, Jodhpur and Udaipur together will broadcast the progrmmae along with relay centres of Dausa, Chahatan, Nathdwara, Karauli, Bharatpur, Jhunjhunu, Anupgarh, Kotput1,06,49,504. li, Bhilwara, Sikar, Tonk, Jaipur, Baran, Dhaulpur and Bundi

.

Timing - 3 June, 2020 Wednesday at 5. 00 pm to 6.00 pm everyday.

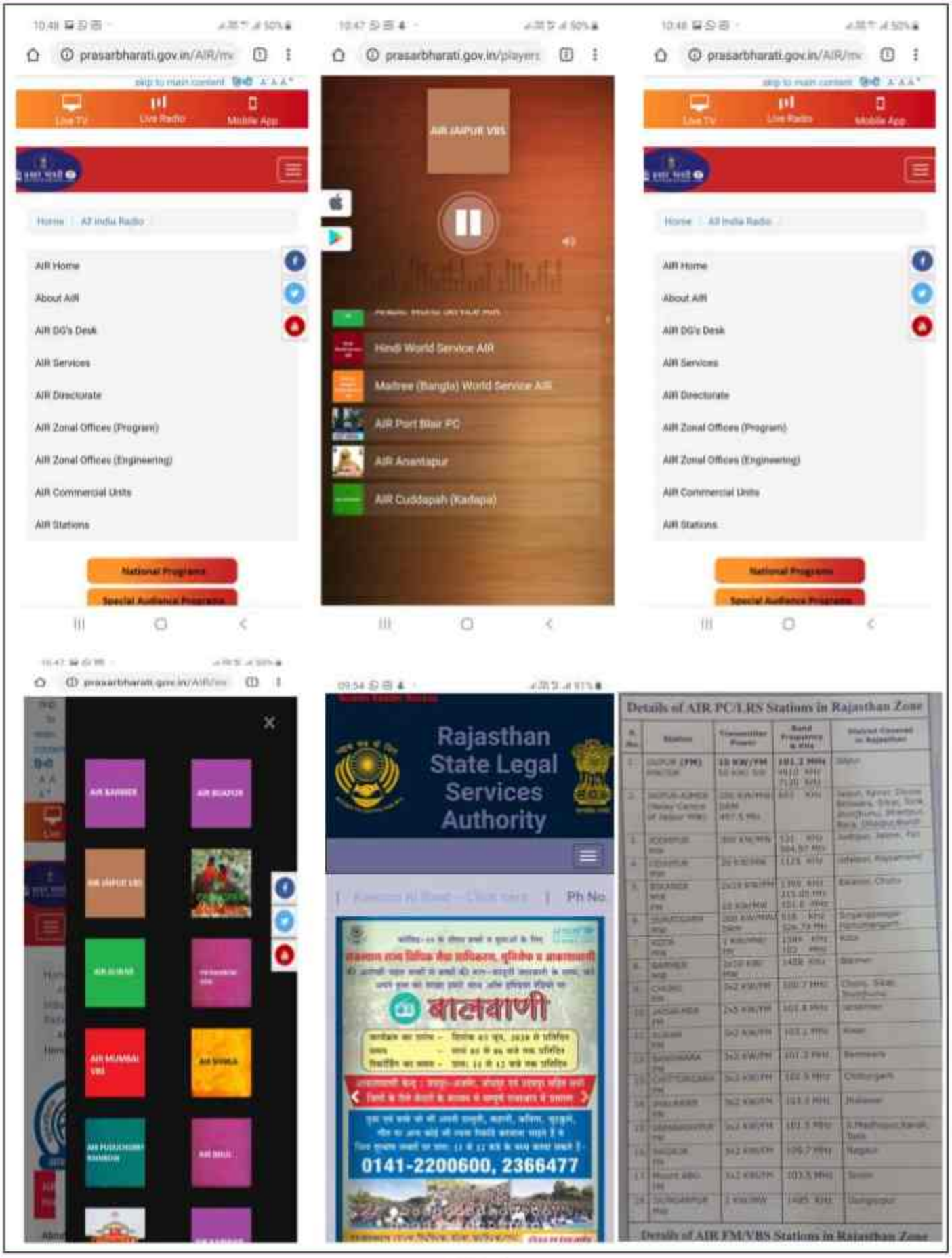
prasarbharati.gov.in/AIR/mr
Live TV
Live Radio
Mobile App
Home | All India Radio
AIR Home
About AIR
AIR DG's Desk
AIR Services
AIR Directorate
AIR Zonal Offices (Program)
AIR Zonal Offices (Engineering)
AIR Commercial Units
AIR Stations
National Programs
prasarbharati.gov.in/players
AIR JAIPUR VBS
Hindi World Service AIR
Maitree (Bangla) World Service AIR
AIR Port Blair PC
AIR Anantapur
AIR Cuddapah (Kadapa)
Rajasthan State Legal Services Authority
Ph No
बालवाणी
0141-2200600, 2366477
Details of AIR PC/LRS Stations in Rajasthan Zone
Details of AIR FM/VBS Stations in Rajasthan Zone

कोविड-19 के दौरान बच्चों व युवाओं के लिए
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यूनिसेफ व आकाशवाणी
की अनोखी पहल बच्चों से बच्चों की बात-कानूनी जानकारी के साथ, करें
अपने हुनर को साझा हमारे साथ ऑल इण्डिया रेडियो पर
बालवाणी
कार्यक्रम का प्रारंभ – दिनांक 04 से 30 जून, 2020 तक प्रतिदिन
समय – सायं 04 से 05 बजे तक प्रतिदिन
रिकॉर्डिंग का समय – प्रात: 11 से 12 बजे तक प्रतिदिन
आकाशवाणी केन्द्र : उदयपुर-अजमेर, जोधपुर एवं उदयपुर सहित सभी
जिलों के सिटे सेन्टरों के माध्यम से सम्पूर्ण राजस्थान में प्रसारण
युवा एवं बच्चे जो भी अपनी प्रस्तुती, कहानी, कविता, चुटकुले,
गीत या अन्य कोई भी रचना रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं वे
निम्न दूरभाष नम्बरों पर प्रात: 11 से 12 बजे के मध्य करवा सकते हैं-
0141-2200600, 2366477
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
लीगल एड हेल्प लाईन
नम्बर : 15100

बालवाणी कार्यक्रम से बढ़ेगी बालकों में कानूनी समझ

दौसा | प्रदेश के बालकों में विधिक चेतना जाग्रत करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आकाशवाणी द्वारा रेडियो के जरिए 3 जून से बालवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।

विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा वधवा ने बताया कि आकाशवाणी द्वारा रेडियो के माध्यम से बालकों में विधिक चेतना जाग्रत करने के लिए बालवाणी के नाम से कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान बालकों में विधिक चेतना के साथ कानूनी समझ बढ़ाने व बाल अपराधों रोकने के लिए के साथ मनोरंजन सहित उनकी शैली आदि के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आकाशवाणी के जरिए प्रसारण होने वाले कार्यक्रम बालवाणी में बालकों के मनोरंजन के लिए उनके द्वारा चुटकुले, कहानी, कविता, शैली सहित उनकी रुचि के संदेश दूरभाष के माध्यम से रिकार्ड करवाया जा सकता है। जिले के इच्छुक बालक दूरभाष नंबर 0141-2200600 व 0141-2366477 पर प्रतिदिन सुबह 11 से 12 बजे के मध्य अपनी प्रस्तुति रिकार्ड करा सकते हैं।

बालकों में विधिक जागृति के लिए आकाशवाणी के माध्यम से जयपुर, अजमेर, दौसा, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनूं, अनूपगढ़, कोटपुतली, भीलवाड़ा, सीकर, टोंक, बांरा, धौलपुर व बूंदी से 3 जून से शाम 5 से 6 बजे तक बालवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।

बच्चों के देशभक्ति गीत से शुरू हुई बालवाणी, जिले से 550 बच्चों के ऑडियो मिले

उदयपुर | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से बच्चों के समग्र विकास और विधिक जागरूकता के लिए बुधवार शाम को 5-6 बजे तक आकाशवाणी केंद्र से बालवाणी कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। पहले दिन प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र के बच्चों के गाए देशभक्ति के गीत, कविताएं प्रसारित की। साथ ही बुरी और अच्छी आदतों के बारे में विशेषज्ञों ने जानकारी दी, साथ ही विधिक जागरूकता भी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रिद्धिमा शर्मा ने बताया कि जिले में भी शिक्षा विभाग के जरिए 550 स्कूली बच्चों की ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। पहले चरण में इनमें से 50 ऑडियो का चयन कर राज्य प्राधिकरण को भेजी जाएगी। इसके बाद यहां से जिले के बच्चों के गीतों, कविताओं का भी प्रसारण होगा।

रेडियो पर बच्चे करेंगे मन की बात

[illegible]

बच्चों के मनोरंजन और उनके कानूनी अधिकारों को बताने 'बालवाणी' कल से

विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल, आकाशवाणी के जरिए होगा प्रसारण

इच्छुक बालक घर बैठे भेज सकेंगे अपनी प्रस्तुतियां

[illegible]

... https://onlineradiofm.in/rajasthan/banswara/ ...

आकाशवाणी से बच्चों को दे रहे विधिक जानकारी

रोजाना शाम 5 बजे से प्रसारण

[illegible]

खुद भी हो सकते हैं शामिल

... 0141-2200600 व 0141-2366477 ...

पत्रिका Thu, 04 June 2020 epaper.patrika.com/c/52499668

कोरोना संक्रमण से बचाव उपायों की ली जानकारी

बालगृह का किया निरीक्षण

[illegible]

बालवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी पर प्रसारित

उदयपुर. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एवं आकाशवाणी केन्द्र द्वारा लॉकडाउन के दौरान घरों में 'कैद' बच्चों के समग्र विकास एवं उनमें विधिक जागृति के लिए बालवाणी का प्रसारण किया गया। यह प्रसारण आगामी सात दिन तक प्रतिदिन शाम 5 से 6 बजे किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रिद्धिमा शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में बाल विशेषज्ञों द्वारा बालकों में मनोरंजन के साथ-साथ बच्चों को उनके विधिक अधिकारों व शोषण/अपराधों के विरुद्ध उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी जाएगी तथा इसका संचालन स्वयं बच्चों द्वारा किया जाएगा। इच्छुक बच्चे प्रतिदिन प्रातः 11 से 12 बजे के मध्य अपनी कहानी, चुटकुले, गीत व अन्य कोई रचना रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जो वे प्रसारित करवाना चाहते हैं। कार्यक्रम में सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं।

बालवाणी के माध्यम से बच्चों को मिली विधिक जानकारी

आकाशवाणी पर रोजाना शाम 5 से 6 बजे तक प्रसारण होगा

बालवाणी - 564.97 मीटर मीडियम वेव एवं अपने मोबाइल पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव एप्लीकेशन के माध्यम से भी सुन जा सकता है

[illegible]

बालवाणी का प्रसारण कल

सीकर. लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद बच्चों के समग्र विकास एवं उनमें विधिक जागृति के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से बुधवार से आकाशवाणी के माध्यम से प्रतिदिन एक घंटे "बालवाणी" कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव जगत सिंह पंवार ने बताया कि कार्यक्रम तीन जून को शाम पांच से छह बजे के मध्य आकाशवाणी केन्द्र जयपुर पर प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रम में बाल विशेषज्ञ बालकों में मनोरंजन के साथ-साथ उनके विधिक अधिकारों व शोषण, अपराधों के विरुद्ध उठाये कदमों की जानकारी देंगे। का संचालन भी बच्चे ही

बच्चे भेज सकेंगे रचनाएं

कार्यक्रम रिकॉर्डिंग का स 11 बजे से 12 बजे तक दूरभाष संख्या 0141-22 2366477 रहेगा। इच्छ प्रतिदिन 11 बजे से 12 ब अपनी कहानी, कविता, गीत व अन्य कोई रचना प्रसारित करवाना चाहते नम्बरों पर रिकार्ड करवा

दैनिक भास्कर | 02-Jun-2020 बारां Page 4

आकाशवाणी पर रोजाना होगा बालवाणी का आयोजन

दैनिक भास्कर | 02-Jun-2020 अजमेर Page 5

रेडियो पर मनोरंजन के साथ अनूठी पहल : बाल-वाणी कार्यक्रम 3 से

बच्चों के समग्र विकास पर बालवाणी कार्यक्रम कल

बालवाणी कार्यक्रम से बढ़ेगी बालकों में कानूनी समझ

भास्कर न्यूज | अजमेर

प्रदेश के बालकों में विधिक चेतना जागृत करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आकाशवाणी द्वारा रेडियो के जरिए 3 जून से बालवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोन्टूसिंह ने बताया कि आकाशवाणी द्वारा रेडियो के माध्यम से बालकों में विधिक चेतना जागृत करने के लिए बालवाणी के नाम से कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, कार्यक्रम के दौरान बालकों में विधिक चेतना के साथ कानूनी समझ बढ़ाने व बाल अत्याचार को रोकने के लिए के साथ मनोरंजन सहित उनकी रुचि आदि के कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आकाशवाणी के जरिए प्रसारण होने वाले कार्यक्रम बालवाणी में बालकों के मनोरंजन के लिए उनके द्वारा चुटकुले, कहानी, कविता, उनकी रुचि के संदेश दूरभाष के माध्यम से रिकार्ड करवाया जा सकता है। जिले के इच्छुक बालक दूरभाष नंबर 0141-2200600 व 0141-2366477 पर प्रतिदिन सुबह 11 से 12 बजे के मध्य अपनी प्रस्तुति रिकार्ड करवा सकते हैं।

आकाशवाणी पर बालवाणी का प्रतिदिन होगा आयोजन

न्यूज सर्विस/नवज्योति, बारां।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा बच्चों के लिए आकाशवाणी पर बालवाणी कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किया जाएगा। रालसा जयपुर एवं यूनिसेफ तथा ऑल इण्डिया रेडियो द्वारा किशोरों एवं बालक बालिकाओं के लिए 3 जून से प्रतिदिन सांय 5 बजे से सांय 6 बजे तक बालवाणी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बालवाणी कार्यक्रम में कोई भी बच्चा भाग ले सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां के सचिव शिवकुमार अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां ने बताया कि दूरभाष संख्या 0141-2200600, 2366477 पर टेलीफोन करके आकाशवाणी से कार्यक्रम प्रसारण में अपनी प्रस्तुति को रिकॉर्ड कराकर भाग लिया जा सकता है बारां जिले का कोई भी बच्चा अपनी स्वयं की प्रस्तुति 01 मिनिट से 02 मिनिट की ऑडियो रिकॉर्डिंग तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां को भी भिजवा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां के हैल्प लाईन नम्बर 8306002105 पर अपना स्वयं का नाम व कक्षा के साथ प्रस्तुति व्हाट्सअप पर भेजी जा सकती है। कार्यक्रम में बच्चे चुटकुले, देश भक्ति गीत, लघु कथा, प्रेरणा दायक कहानी अथवा घटना स्पष्ट आवाज में रिकॉर्ड कर के भेज सकते है। अपनी रिकॉर्डिंग व्हाट्सअप नम्बर 8306002105 पर 3 जून के कार्यक्रम के लिए 2 जून सांयकाल 07 बजे तक भेज सकते हैं।

दैनिक नवज्योति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण: अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक हुई आयोजित

नवज्योति/जोधपुर।

सर्वोच्च न्यायालय की ओर से रिट पिटीशन (सिविल) के तहत जारी आदेश अनुसार कोरोना वाईरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जेल में बंद कैदियों के स्वास्थ्य के संरक्षण एवं कल्याण को लेकर जिला एवं सेशन न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर नरसिंहदास व्यास की अध्यक्षता में मंगलवार को अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिद्धेश्वर पुरी ने बताया, कि जिन बंदियों ने अपनी अधिकतम सजा कि आधी से अधिक सजा भुगत ली है उन्हें तथा छोटे अपराध जिनमें रिहा किया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों पर जल्द विचार कर उन्हें रिहा किए जाने के निर्देश दिए। केन्द्रीय कारागृह को भी नियमित कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही बीमार व मनोरोगी बंदी की नियमित जांच व दवाईया उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उक्त बैठक का प्रति सप्ताह आयोजन किया जाना है। आगामी बैठक का आयोजन दिनांक 12 जून को किया जाना सुनिश्चित है। जिससे 436 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लाभान्वित होने वाले बंदियों को छोड़े जाने के अनुशंसा की जा सके।

बैठक में राजकुमार चौधरी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर, तथा मुकेश जारोटिया, जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जोधपुर सहित सदस्यगण उपस्थित रहे।

बालवाणी कार्यक्रम से बढ़ेगी बालकों में कानूनी समझ

आकाशवाणी पर कल से बालवाणी का प्रसारण

बच्चों को दी जाएगी कानूनी जानकारियां

अजमेर। प्रदेश में बालक-बालिकाओं में विधिक जागरूकता लाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व यूनिसेफ आकाशवाणी पर बालवाणी कार्यक्रम का प्रसारण करवाएंगे। इसे जयपुर, अजमेर, टोंक, नाथद्वारा, ...

ऐसे कराएं प्रस्तुति रिकॉर्ड

... टेलीफोन नम्बर 0141-2200600 व 2366477 पर सुबह 11 से 12 बजे के बीच ...

रालसा द्वारा बच्चों के लिए लॉकडाउन में आकाशवाणी पर बालवाणी का प्रतिदिन होगा आयोजन

बालवाणी आज से बच्चों को बताएगी उनके कानूनी अधिकार

बच्चों की बात कानूनी जानकारी के साथ, करें अपने हुनर को साझा

कल होगा आकाशवाणी पर 'बालवाणी' कार्यक्रम

धौलपुर. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आकाशवाणी पर 'बालवाणी' कार्यक्रम का प्रसारण 3 जून से शाम 5 बजे से 6 बजे के मध्य पूरे राज्य में ...

दैनिक नवज्योति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण: रेडियो पर बालवाणी से बच्चों को देंगे विधिक जानकारी

बच्चों के मनोरंजन और उनके कानूनी अधिकारों को बताने बालवाणी कार्यक्रम आज से होगा शुरू

आकाशवाणी से होगा बालवाणी का प्रसारण

आकाशवाणी पर बालवाणी का प्रसारण आज से

सवाईमाधोपुर. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यूनिसेफ व आकाशवाणी ने मिलकर एक अनोखी पहल की है। इसके तहत अब आकाशवाणी पर बालवाणी कार्यक्रम को बुधवार से प्रसारण शुरू किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्वेता शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का प्रसारण शाम 5 से 6 के बीच 101.5 चैनल पर होगा। प्रारंभ में 7 दिन व इसके बाद 30 दिन के लिए कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विधिक अधिकारों, शोषण-अपराधों के विरोध उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी जाएगी। जिले से इच्छुक बच्चे भी अपना कार्यक्रम रिकॉर्ड करा सकते हैं।

आकाशवाणी पर बालवाणी कार्यक्रम कल से

शाम 5 से 6 बजे तक होगा प्रसारण

बालवाणी के माध्यम से मिलेगी बच्चों को विधिक जानकारी

आज से आकाशवाणी पर शाम 5 बजे 1 घंटा होगा प्रसारण

रेडियो पर बाल वाणी का प्रसारण आज से

नवज्योति/पीपाड़सिटी।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा रेडियो के माध्यम से बालकों में विधिक चेतना के प्रसार हेतु बाल वाणी के नाम से कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। जिसमें बाल विशेषज्ञों द्वारा बालकों के सम्बंध में जानकारी दी जाएगी साथ ही बालकों में मनोरंजन हेतु उनके द्वारा चुटकुले, कहानी, कविता या अन्य कोई भी संदेश दूरभाष के माध्यम से रिकॉर्ड करवाया जा सकता है।

तालुका विधिक सेवा समिति पीपाड़ के अध्यक्ष पंकज सांखला ने बताया कि यह कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जयपुर, अजमेर व दौसा जिले के चौहटन, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुनझुनू, अनुपगढ़, कोटपुतली, भीलवाड़ा, सीकर, टोंक, जयपुर, बारां, धौलपुर व बूंदी में 3 जून से सायं 5 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक बालक निम्न दूरभाष नम्बर पर अपनी प्रस्तुति प्रतिदिन प्रातः 11-12 बजे के मध्य रिकॉर्ड करवा सकते हैं।

बालवाणी कार्यक्रम आज से

झालावाड़। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर ने आकाशवाणी व यूनिसेफ के माध्यम से बच्चों को कानूनी जानकारी व उनकी प्रतिभा के निखार के लिए 3 जून से बाल वाणी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव छोटूराम गुर्जर ने बताया कि बाल वाणी कार्यक्रम प्रति दिवस प्रातः 11 से 12 दोपहर तक बच्चे अपने गीत, कहानी, चुटकुले व कोई रचना रिकॉर्ड करवा सकते हैं। [illegible]

आकाशवाणी पर बालवाणी तीन से

नवज्योति/कोटा

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम बालवाणी का प्रसारण 3 जून से शाम 5 बजे से 6 बजे के तक राजस्थान में आकाशवाणी केन्द्र, जयपुर पर प्रतिदिन एक घंटे होगा। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव महेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में युवा, बच्चों द्वारा प्रस्तुति के लिए कहानी, कविता, चुटकुले, गीत या अन्य रचनाएं रिकॉर्ड करवाने के लिए टेलीफोन नं 0141-2200600, 0141-2366477 पर सुबह 11 बजे से 12 बजे के मध्य करवा सकते हैं इसके अतिरिक्त भी बालक के प्रस्तुति की रिकॉर्डिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को 8306002131 पर वॉट्सएप पर भी भेज सकते हैं।

रेडियो पर बच्चों के लिए बालवाणी कार्यक्रम

झालावाड़. कोरोना वायरस के दौरान विद्यालय बंद होने के कारण बच्चे घरों में हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यूनिसेफ एवं आकाशवाणी की पहल पर 3 जून से समय शाम 5 से 6 बजे तक बालवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। बी.एल. चंदेल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि कोई भी बालक 4 जून को सुबह 11 से 12 बजे तक परिचय देते हुए जो वह साझा करना चाहता है वह राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के दूरभाष नं. 0141-2200600 एवं 2366477 पर लाइव रिकॉर्डिंग करा सकता है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ के हेल्प लाईन 8306002127 पर 4 जून को शाम तक फोन कर या स्वयं ही रिकॉर्डिंग करके अपनी ऑडियो क्लिप प्रेषित कर सकता है।

'बालवाणी' प्रसारण शुरू होगा कल से

खबरों की दुनिया

अलवर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम 'बालवाणी' का प्रसारण 3 जून से शाम पांच बजे से छह बजे के मध्य किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर की सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती रेणुका सिंह हुड्डा ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में बाल विशेषज्ञों द्वारा बालकों में मनोरंजन के साथ-साथ बच्चों को उनके विधिक अधिकारों व शोषण/अपराधों के विरुद्ध उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही इसका संचालन स्वयं बच्चों द्वारा भी किया जाएगा। जिसमें इच्छुक बच्चे प्रतिदिन प्रातः 11 से दोपहर 12 बजे के मध्य दूरभाष नं या 0141-2200600, 0141-2366477 पर अपनी कहानी, कविता, चुटकुले, गीत व अन्य कोई रचना रिकॉर्ड करवा सकते हैं।

बालवाणी का प्रसारण आज

दौसा. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा रेडियो के माध्यम से बालकों में विधिक चेतना के प्रसार के लिए बालवाणी के नाम से कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। इसमें बाल विशेषज्ञों द्वारा बालकों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। साथ ही बालकों के मनोरंजन के लिए उनके द्वारा चुटकुले, कहानी, कविता या अन्य कोई भी संदेश दूरभाष के माध्यम से रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रेखा वधवा ने बताया कि यह कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जयपुर, अजमेर व दौसा जिले सहित चौहटन, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनूं, अनूपगढ़, कोटपुतली, भीलवाड़ा, सीकर, टोंक, जयपुर, बारां, धौलपुर व बूंदी में बुधवार शाम 5 से 6 बजे तक किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा वधवा ने बताया कि दौसा जिले के इच्छुक बालक दूरभाष नम्बर 0141-2200600 व 0141-2366477 पर प्रतिदिन सुबह 11 से 12 बजे के बीच में रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं।

बालवाणी कार्यक्रम का प्रसारण आज से

करौली. (नि.सं.)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के माध्यम से राजस्थान में आकाशवाणी केन्द्र जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर व दौसा द्वारा चौहटन, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझनू, अनूपगढ़, कोटपुतली, भीलवाड़ा, सीकर, टोंक, जयपुर, बारां, धौलपुर व बूंदी में आज 3 जून से प्रतिदिन सायं 5 से 6 बजे के मध्य बालवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जायेगा। यह कार्यक्रम प्रारम्भ में सात दिन के लिए तथा इसके बाद तीस दिन के लिए निरन्तर किया जावेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेखा यादव ने बताया कि बालवाणी कार्यक्रम का प्रसारण करौली जिले में 4 जून को किया जाएगा। इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद बच्चों के समग्र विकास एवं उनमें विधिक जागृति लाने हेतु बाल विशेषज्ञों द्वारा बालकों में मनोरंजन के साथ-साथ बच्चों को उनके विधिक अधिकारों व शोषण/अपराधों के विरूद्ध उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी मिलेगी।

तेज केसरी, हनुमानगढ़ टाउन (राजस्था

सार-समाचार

बच्चों के हुनर को मंच प्रदान करेगा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

हनुमानगढ़।

कोविड-19 के कारण बच्चों के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व सभी शिक्षण संस्थाएं अभी बंद हैं। बच्चे अभी घर में ही हैं। बच्चे व युवा घर बैठे ही अपने हुनर को निखार सकें इसी उद्देश्य से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व यूनिसेफ दिनांक 03.06.2020 से सायं 05 बजे से 06 बजे तक प्रतिदिन बालवाणी कार्यक्रम प्रारम्भ कर रहा है। बच्चों की बात बच्चों तक उन्हीं के माध्यम से मनोरंजक तरीके से पहुंचे यही इस कार्यक्रम का ध्येय है। इस कार्यक्रम में कोई भी बच्चा या युवा भाग ले सकता है। इसके लिए बच्चों व युवाओं को अपनी प्रस्तुती, कहानी, कविता, चुटकुले, गीत, इंटरटेनमेंट या अन्य कोई भी रचना अधिकतम 02 मिनट की रिकॉर्डिंग करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाईन नंबर 8306002118 पर दिनांक 03.06.2020 को 12 बजे तक वाट्स एप पर भेज सकते हैं अथवा 0141-2200600, 0141-2366477 नंबर पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। प्रतिभागी द्वारा अपनी रचना के प्रारम्भ में अपना नाम, तहसील व जिला का नाम बताकर रचना प्रारम्भ की जावेगी।

उनके द्वारा भेजी गई अथवा रिकॉर्ड करवाई गई रचना का प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से सम्पूर्ण राजस्थान में सायं 05 बजे से 06 बजे तक प्रतिदिन प्रसारित किया जाएगा।

सार-समाचार

बालवाणी का प्रसारण आज से

टोंक। राज्य के बालक-बालिकाओं को विधिक जानकारी प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम बालवाणी का प्रसारण 3 जून से शाम 5 बजे से 6 बजे के मध्य राजस्थान आकाशवाणी केन्द्र जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर व टोंक द्वारा ...

बालवाणी के संबंध में दी जानकारी

जोधपुर 03-06-2020

अब रेडियो पर 'बालवाणी' में बच्चे जानेंगे अपने कानूनी अधिकार

जोधपुर| एक वयस्क नागरिक की तरह बच्चों को भी कई कानूनी अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों से अवगत कराने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कई कार्यक्रम चला रहा है। इसी कड़ी में रेडियो के जरिए बच्चों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत करवाया जाएगा। इसके लिए रेडियो पर बालवाणी कार्यक्रम प्रसारित होगा।

बाड़मेर: बालवाणी कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

प्राधिकरण करेगा बच्चों की बात बच्चों के साथ

आकाशवाणी पर 'बालवाणी' कार्यक्रम 3 जून से

आकाशवाणी के सहयोग से होगा कार्यक्रम

प्राधिकरण करेगा बच्चों की बात बच्चों के साथ

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

राजसमंद. लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद बच्चों के समग्र विकास एवं उनमें विधिक अधिकारों के संबंध में जागृति के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व यूनिसेफ द्वारा आकाशवाणी के सहयोग से 'बच्चों की बात बच्चों के साथ बालवाणी' कार्यक्रम तीन जून से शाम 5 से 6 बजे की बीच संपूर्ण राजस्थान में प्रसारण किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेन्द्र कुमार ने बताया कि जिले के समस्त सरकारी/गैर सरकारी गृहों/छात्रावासों में आवासरत बालक/बालिकाएं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में सरकारी/गैर सरकारी विद्यालय में स्थापित विधिक साक्षरता क्लबों तथा जिले में संचालित समस्त सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों के बालक/बालिकाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद बालकों का समग्र विकास तथा विधिक जानकारी प्रदान कर बालकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जागृत करना है। कार्यक्रम स्वयं बालकों द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक बालक अपनी कहानी, कविता, चुटकले, गीत तथा अन्य कोई रचना दूरभाष संख्या 0141-22006 00, 0141-236 6477 पर सुबह 11 से 12 बजे तक रिकॉर्ड करवा सकते है साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के व्हाट्स एप हेल्पलाइन नम्बर 8306002135 पर प्री रिकॉर्डेड ऑडियो प्रेषित कर सकते है। रिकॉर्डेड ऑडियो की समय सीमा 2 मिनट होगी तथा प्रारंभ में बालक का नाम, कक्षा तथा जिला के नाम आवश्यक रूप से रिकॉर्ड करना होगा।

बालवाणी कार्यक्रम में बच्चों को मिलेगी उनके विधिक अधिकारों की जानकारी

बालवाणी कार्यक्रम कल से शुरू

राजस्थान पत्रिका

'बालवाणी' से बढ़ेगी बालकों में कानूनी समझ

बालवाणी कार्यक्रम का आयोजन कल से

जोधपुर भास्कर

3 जून से रेडियो पर आएगा बच्चों का बालवाणी कार्यक्रम, कोई भी बच्चा ले सकता हैं भाग

बिलाड़ा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व यूनिसेफ की पहल के तहत बच्चों से बच्चों की बातें - कानूनी जानकारी के साथ कार्यक्रम बालवाणी का प्रसारण 3 जून से एक घंटे के लिए शाम 5 से 6 बजे तक किया जाएगा। तालुका विधिक सेवा समिति बिलाड़ा के अध्यक्ष डॉ. दुदाराम खोखर ने बताया कि उक्त बालवाणी कार्यक्रम में जो भी युवा व बच्चे अपनी प्रस्तुति कहानी, कविता, चुटकले, गीत या अन्य कोई भी रचना रिकॉर्ड करवाने चाहते है वे सीधे ही दूरभाष नंबर 0141-2200600 अथवा 0141-2366447 पर सुबह 11 से 12 बजे के मध्य करवा सकते हैं। इसके अलावा स्वयं रिकॉर्डिंग करके भी कार्यालय के दूरभाष नंबर 8306002129 पर व्हाट्सएप भेज सकते हैं।

COVID-19 Assistance & Help At a Glance

2893 Persons released on bail

Applications before JJBs / CWCs **499**

210 Bail Applications before POCSO/ Children Courts

Released on Parole **321**

604 Released as per recommendation of UTRC

Food Packets **628092**

1099206 Ration Kit

Awareness Programme **669**

Legal Aid **3200**

33382000 Compensation Granted

Inspections of each Children Homes, Nari Niketan, OSCs, Observation Homes **226**

37 Legal Aid Help Line Numbers round the clock

Helped **680018**

38 Webinars

Payments made to lawywers **5159594**

745635 Paymenist to PLVs

Rajasthan State Legal Services Authority- Access to Justice for All

Consolidated Statistical Information from 21st March to 30 June 2020

S. No.	Name of DLSA	Total Number of Bails filed 437 & 439 CrPC	Applications in JJBs/ CWCs	Bails/ Appeals in POCSO/ Children Court	Total Number of persons, legal aid provided	Number of Calls received in DLSA/ Helpline/ E-mail/ NALSA portal for help of all kind	Number of persons, to whom help provided during period (help of all kind)	Number Food packet Distributed	Number Ration Kits distributed	Payment made to lawyers under all heads (state+4c) (Paid from March to 30 June)	Payments made to PLVs (Paid from March to 30 June)
1	Ajmer	74	6	6	10	10	25925	24000	1925	75750	180500
2	Alwar	250	16	3	273	37	17902	5017	1500	145500	5500
3	Balotra-Barmer	15	0	0	7	21	21	0	0	8500	3000
4	Baran	264	16	23	622	603	22977	21000	450	224000	18500
5	Banswara	90	12	6	108	55	5849	33500	150	0	0
6	Bharatpur	93	9	4	218	518	45600	15000	1100	582000	56000
7	Bhilwara	89	32	22	111	211	1972	2925	301	254875	10000
8	Bikaner	39	7	0	5	20	20	300	5	48000	11000
9	Bundi	57	207	0	264	13	297	20	20	33000	7000
10	Churu	71	3	3	3	34	37	870	2740	161750	46810
11	Chittorgarh	125	6	37	168	440	18368	0	1560	144750	0
12	Dausa	27	1	2	19	25	163	118	0	241919	40500
13	Dholpur	66	2	0	52	42	740	25	79	22000	7500
14	Dungarpur	10	8	0	1	2	2	74400	24246	0	0
15	Ganganagar	67	6	16	76	11	4586	4000	500	335250	23500
16	Hanumangarh	70	9	4	80	9	2	5700	280	92750	35000
17	Jaipur-Metro	**140**	**17**	0	67	21	31821	300	150	620000	12500
18	Jaipur District					38	127	0	124		
19	Jaisalmer	2	0	0	9	0	9	0	0	55000	12000
20	Jalore	15	1	1	17	15	1638	650	860	23000	4500
21	Jhalawar	56	0	0	5	26	68	300	0	99000	16000
22	Jhunjhunu	73	6	8	115	16	337431	110347	649106	77500	10500
23	Jodhpur-Metro	181	19	0	126	12	468	280	130	54000	14000
24	Jodhpur District	1	0	0	5	8	156	27	127		
25	Kota	330	15	16	394	24	724	700	40	783250	42500
26	Karauli	26	0	0	15	8	1032	752	312	141950	27000
27	Nagaur-Merta	36	11	0	51	385	14420	61951	211324	11000	6250
28	Pali	22	9	3	58	8	3909	3601	208	34500	39500
29	Pratapgarh	30	0	0	30	4	90	1680	120	79000	0
30	Rajsamand	53	3	0	4	28	57	887	1223	5500	500
31	Sawaimadhopur	55	10	8	36	33	69	0	9	45000	17000
32	Sikar	85	7	6	103	4	1845	45000	57000	521600	43000
33	Sirohi	38	5	12	107	65	27377	16192	11000	12000	37575
34	Tonk	23	6	0	16	60	478	300	133	166750	18000
35	Udaipur	320	50	30	25	203	113838	98250	14850	60500	0
	RSLSA	0	0	0	0	255	0	100000	117634	0	0
	Total	**2893**	**499**	**210**	**3200**	**3264**	**680018**	**628092**	**1099206**	**5159594**	**745635**

DISTRICT AJMER

कोटड़ा प्रताप नगर अजमेर में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को भोजन वितरण किया गया।

बाल गृहों, बालिका गृहों, अपना घर आश्रम, मानसिक विमंदित गृहों में आवासियों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिडकाव किया गया।

नालसा एवं रालसा के मार्ग निर्देशन में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइट का शहर में छिड़काव करवाया गया।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सैशन न्यायाधीश), अनूप कुमार सक्सैना के मार्गनिर्देशन में कोरोना संक्रमण के चलते प्राधिकरण के सचिव डॉ. शक्ति सिंह शेखावत अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री भारत भूषण शर्मा व न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रमन शर्मा के साथ ग्रीन आर्मी द्वारा तैयार की गयी पोर्टेबल सेनिटाईजिंग टनल की कार्यप्रणाली एवं उसका उपयोग समझा। उक्त पोर्टेबल सेनिटाईजिंग टनल में तुलसी का अर्क व नीम का तेल, फिटकरी आदि को मशीन से जोड़कर टनल के अन्दर आने जाने वाले लोगों को सेनिटाईज किया।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सैशन न्यायाधीश), अनूप कुमार सक्सैना के मार्गनिर्देशन में बाल गृहों व कारागृहों में मास्क वितरण कार्य किया गया।

निर्माणाधीन कोर्ट भवन के श्रमिकों को बांटी राहत सामग्री

श्रीमान् सदस्य सचिव श्री अशोक कुमार जैन एवं श्रीमान् अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अनूप कुमार सक्सैना के मार्गनिर्देशन में संज्ञान लिया जाकर पहुँचाई राहत।

प्रशासन ने अति परिवारों को बांटे भोजन के पैकेट

विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रसंज्ञान पर कालबेलिया परिवारों को मिली राहत

पत्रिका की खबर पर प्रसंज्ञान

पत्रिका

कोरोना संक्रमण के रहते संयोगिता नगर अजमेर के निर्माणाधीन कोर्ट भवन में 280 श्रमिकों को पहुँचाई राहत सामग्री व दी आर्थिक सहायता।

अजमेर में जरूरत मंदों को वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जाँच की गई तथा नगर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया व जानकारी प्राप्त की गयी।

केन्द्रीय कारागृह अजमेर एवं उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव कर संक्रमण को रोकने का प्रयास किया गया।

दैनिक समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर संज्ञान लिया जाकर जिला कलक्टर से पत्राचार किया गया व जिला रसद अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये व तुरंत राहत पहुँचाने की कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।

राजनीतिक विवादों की भेंट चढ़ी राहत

पांचवें दिन भी नहीं बंटी खाद्य सामग्री

PET BOTTLES FOR SANITIZER

ई रिक्शा का संचालन कर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आमजन को जागरूक किया गया।

AJMER

Food Packets

24000

Ration Packets

1925 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

6

Bail Applications

74

Bail Applciation POCSO/Children Courts

6

Legal Aid

10

Compensation Granted

100000

Awareness Programmes

17

Number of Calls received –

10

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

4

Help Provided

25925

Webinars

2

Payment to Panel Lawyers

75750

Payment to Para Legal Volunteers

180500

DISTRICT ALWAR

30 Covid Awareness programme have been organised wherein 4000 people were benefited

Awareness is being generated through songs being played in autos and door to door garbage collection van.

Food Packets to 3000 families and 1000 Row food material packets were distributed among the laborers and poor families.

111 Bail Applications were filed before concerned courts wherein 28 applications were accepted.

15 Applications of Supardgi of Minors were field before JJB wherein 6 were allowed.

Senitization of colonies, mask distribution to common man living in kachhai basties.

Awareness programme were broadcast on AIR.

जांच कार्यवाही में कोई कोताही नहीं बरतें-हुड्डा

जयपुर टाइम्स

अलवर (निसं)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश रेणुका सिंह हुड्डा के द्वारा सीएमएचओ डॉ. ओम प्रकाश मीणा, सीओ सिटी नरेश शर्मा के साथ महालक्ष्मी फार्मेसी मेडिकल स्टोर नंगली सर्किल अलवर पर सैनिटाइजर की गुणवत्ता की जांच के लिए औचक निरीक्षण किया गया।

प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला एवम सेशन न्यायाधीश रेणुका सिंह हुड्डा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध सेनेटाइजर में निर्धारित मापदंड के अनुसार अल्कोहल की मात्रा नहीं पायी गयी।

उक्त सभी सेनेटाइजर की बोतल को ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा मौके पर जब्त कर सील मार्का कर के पत्र हेतु लिए गए।

निरीक्षण के दौरान रेणुका सिंह हुड्डा द्वारा मौके पर ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओपी मीना एवं जिला औषधि जांच अधिकारी को स त कार्यवाई करने एवं जांच कार्यवाही में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतने के आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए।

जिले के सभी नागरिकों से की अपील: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला एवम सेशन न्यायाधीश रेणुका सिंह हुड्डा के द्वारा अलवर जिले के समस्त नागरिकों से अपील की है कि मार्केट में नीम और तुलसी के नाम पर उपलब्ध सेनेटाइजर जिसमें अल्कोहल की मात्रा नहीं होने के कारण आमजन ऐसे सेनेटाइजर का उपयोग करने से बचें एवं अपील की है कि ऐसे सेनेटाइजर की बजाय साबुन से ही हाथ धोना उचित समझे।

दैनिक मजदूरों में राशन वितरण

अलवर। एन ई बी थाना पुलिस व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को गरीब दैनिक मजदूरी करने वाले परिवारों को थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान सर्किल, फतेह सिंह की गुंबद ,झंकार होटल के पीछे राशन किट ,भोजन सामग्री वह मास्क वितरित किए गए इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेणुका हुड्डा सीओ यातायात विजय पाल सिंह द्वारा इन परिवारों को राशन किट भोजन सामग्री फ्रूट वह मास्क वितरित किए गए इस दौरान एनी बी थाने का स्टाफ मौजूद रहा थाना अधिकारी विनोद सांवरिया ने बताया कि लोक डाउन के अंतर्गत ऐसे गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वह दैनिक मजदूरी करते हैं उनके लिए थाना पुलिस द्वारा प्रशासन के सहयोग से राशन किट व भोजन सामग्री बांटी जा रही है और यह कार्य आगे भी जारी रहेगा।

जांच कार्यवाही में कोई कोताही नहीं बरतें-हुड्डा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेणुका सिंह हुड्डा ने मेडिकल स्टोर का किया औचक निरीक्षण

स्वर्ण आभा न्यूज ब्यूरो अलवर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती रेणुका सिंह हुड्डा के द्वारा सीएमएचओ डॉ. ओम प्रकाश मीणा, सीओ सिटी नरेश शर्मा के साथ महालक्ष्मी फार्मेसी मेडिकल स्टोर नंगली सर्किल अलवर पर सैनिटाइजर की गुणवत्ता की जांच के लिए औचक निरीक्षण किया गया। प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला एवम सेशन न्यायाधीश श्रीमती रेणुका सिंह हुड्डा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध सैनिटाइजर में निर्धारित मापदंड के अनुसार अल्कोहल की मात्रा नहीं पायी गयी। उक्त सभी सैनिटाइजर की बोतल को ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा मौके पर जब्त कर सील मार्का कर के पत्र हेतु लिए गए। निरीक्षण के दौरान रेणुका सिंह हुड्डा द्वारा मौके पर ही मु.च.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओपी मीना एवं जिला औषधि जांच अधिकारी को स त कार्यवाई करने एवं जांच कार्यवाही में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतने के आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए।

जिले के सभी नागरिकों से की अपील: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं (शेष पृष्ठ 4 पर)

निजि वाहनो का
प्रवेश वर्जित है।

ALWAR

Food Packets

5017

Ration Packets

1500 Pcks

Bails b/f JJBs / CWCs

16

Bail Applications

250

Bail Applciation OCSO/Children Courts

3

Legal Aid

273

Compensation Granted

25,85,000

Awareness Programmes

0

Number of Calls received –

37

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

17

Help Provided

17907

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

145500

Payment to Para Legal Volunteers

5500

DISTRICT BALOTRA

Awareness drive on bull cart was initiated through songs in local language.

Bail Applications of 11 jail inmates were drafted and presented before concern court wherein 1 inmate was released on bail.

5000 persons were made aware about do's and don'ts

कोरोना वायरस से बचाव के लिए बैलगाड़ी से जागरूकता अभियान

Food Packets

0

Ration Packets

0 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

0

Bail Applications

15

Bail Applciation POCSO/Children Courts

0

Legal Aid

7

Compensation Granted

0

Awareness Programmes

5

Number of Calls received –

21

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

3

Help Provided

21

Webinars

0

Payment to Panel Lawyers

8500

Payment to Para Legal Volunteers

3000

DISTRICT BANSWARA

अन्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Writ Petition (C) No. 1/2020 में पारित आदेश दिनांक 23.03.2020 एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार प्रतिसप्ताह अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक का आयोजन कर बंदियों के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया जा रहा है।

जमानत

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कारागृह में निरूद्ध ऐसे 48 बंदीगण पाये गये जो अधिकतम 7 वर्ष की सजा एवं मजिस्ट्रेट ट्रायल केस में कारागृह में निरूद्ध है। उक्त बंदीगण के धारा 437 द. प्र.स. के तहत जमानत आवेदन तैयार कर सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार अब तक कुल 90 बंदियों को रिहा करवाया जा चुका है।

किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष सुपुर्दगी आवेदन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Writ Petition (C) No. 4/2020 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2020 व माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विधि से संघर्षरत बालकों के जमानत/सुपुर्दगी आवेदन तैयार किये जाकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष 11 आवेदन एवं बालक न्यायालय के समक्ष 06 आवेदन प्रस्तुत किये गये, जो विचाराधीन है।

निरीक्षण

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार प्राधिकरण के सचिव द्वारा दिनांक 27.03.2020 को एवं 09 अप्रेल 2020 को विभिन्न बाल गृहों, मानसिक विमंदित गृहों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गृह की साफ–सफाई एवं कोरोना संक्रमण को देखते हुए बालकों हेतु की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। कोराना संक्रमण से बचाव हेतु बच्चों को मास्क व साबुन आदि उपलब्ध करावाये गये है एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था की गई है। नगर परिषद के सहयोग से स्प्रे द्वारा गृहों को सेनेटाईज करवाया गया।

बचाव उपक्रम

प्राधिकरण के सचिव द्वारा दिनांक 19.03.2020, 20.03.2020 एवं दिनांक 08.04.2020 को जिला कारागृह का निरीक्षण किया गया। मेडीकल टीम द्वारा कारागृह में सभी बैरक्स में जाकर थर्मल स्केनर से बंदीगण की जांच की गई जिसमें किसी भी बंदी में कोरोना वायरस के समान संक्रमण के लक्षण नहीं पाये गये। बंदियों को एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाये रखने, बैरक्स में साफ–सफाई रखने, समय–समय पर साबुन से हाथ धोने, खांसते छींकते समय मुंह पर कपड़ा/रूमाल रखने सहित कोरोना से बचाव हेतु समुचित जानकारी भी प्रदान की गई। कारागृह में व सभी बैरक्स में साफ–सफाई समुचित पाई गई। बंदियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने हेतु आयुर्वेद विभाग द्वारा काढा वितरण भी किया गया व सेनेटाईज करवाया गया।

जागरूकता कार्यक्रम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु आमजन को जागरूक करने के उद्धेश्य बैनर तैयार करवाकर मुख्यालय एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के माध्यम से तालुकाओं में सार्वजनिक स्थानों पर लगाये गये।

- नगर परिषद के साथ समन्वय स्थापित कर पूरे शहर में कोरोना वायरस से बचाव हेतु स्वच्छता रथ में ऑडियो संदेश प्रसारित कर जागरूक किया गया।
- कारागृह व बालगृहों के निरीक्षण के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु की गई तैयारियों की समीक्षा कर सुधार हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये। निरीक्षण के दौरान कारागृह व बालगृहों के स्टॉफ, बन्दीगण व गृहों में आवासित बालक/बालिकाओं को कोरोना संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में समुचित उपायों व सावधानियों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गई।
- सार्वजनिक स्थानों पर फूड पैकेट व राशन वितरण के दौरान भी प्राधिकरण के सचिव व स्टाफ द्वारा लगभग 1200–1300 व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गई।

राशन वितरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा द्वारा प्रशासन, नगर परिषद, रसद विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से शहर के विभिन्न वार्डो एवं कॉलोनियों में जरूरतमंद व्यक्तियों को फूड पैकेट नियमित रूप से वितरित किये गये। प्राधिकरण के सचिव व स्टाफ द्वारा भी वितरण कार्य में समय–समय पर सहयोग किया गया।

प्राधिकरण की प्रेरणा से स्वयंसेवी संगठन वेलनेस फाउण्डेशन द्वारा लगभग 750 फूड पैकेट व आश्रय सेवा संस्थान द्वारा लगभग 250 फूड पैकेट लॉकडाउन लागू होने के बाद से प्रतिदिन जरूरतमंद गरीबों, मजदुरों व अन्य लोगों को वितरित किये गये।

प्राधिकरण की प्रेरणा से कारागृह प्रशासन द्वारा भी विगत 10 दिनों से प्रतिदिन 200–250 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया।

लॉकडाउन की 21 दिनों की अवधि में लगभग 33500 फूड पैकेटस का वितरण अब तक किया जा चूका है। प्राधिकरण द्वारा अन्य संगठनों व भामाशाहों को भी उक्त फूड पैकेट वितरण में सहयोग हेतु प्रेरित कर जोड़ा गया।

बांसवाड़ा न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारियों द्वारा जरूरतमंद लोगों की सहायता हेतु लगभग 50 हजार रू. की सहयोग राशि एकत्रित की गई। उक्त राशि से राशन सामग्री के पैकेट बनाये गये जिनमें पांच किलो आटा, दाल 1 किलो, हल्दी–मिर्च–धनिया 300 ग्राम, तेल आधा लीटर, चावल 1 किलो, चीनी 1 किलो एवं नमक आदि है। उक्त राशन सामग्री जनजातीय क्षेत्र के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब एव मजदूर लोगों को वितरित किये गये है। अब तक लगभग 150 राशन पैकेट वितरित किये जा चुके है एवं आगे भी राशन पैकेट वितरित किये जाऐंगे।

लाभार्थी

प्राधिकरण द्वारा फूड पैकेट एवं राशन पैकेट का वितरण करते हुए अब तक 34 हजार से भी अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया।

BANSWARA

Food Packets

33500

Ration Packets

150 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

12

Bail Applications

90

Bail Applciation POCSO/Children Courts

6

Legal Aid

108

Compensation Granted

0

Awareness Programmes

8

Number of Calls received –

55

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

15

Help Provided

5849

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

0

Payment to Para Legal Volunteers

0

DISTRICT BARAN

Discussion by Secretary, DLSA Baran with medical officers during a medical checkup of Jail inmates of District Jail Baran.

Medical officer posted at District Jail and Jailor providing information relevant to Covid-19 emergent situation.

Medical Checkup during Inspection by DLSA Baran

Team of 06 medical officers conducting health checkup of Baran District Jail inmates and conducted screening as a precautionary measure arising out of Covid-19 emergent situation. 30 inmates of Baran District Jail have already been shifted to District Jail Bundi in order to effect de-congestion in Jails in compliance of the directions given by Hon'ble Supreme Court in suo moto writ petition no. 03/2020.

Awareness camp was organized at Sub jail Chhabra by TLSC Chhabra. In this camp advisory instructions were given to all the inmates about social distancing, sanitization owing to Covid-19 emergency situation.

Inspection of Sub Jail Chhabra by Ld. Chairperson TLSC Chhabra during the Lockdown period. Masks were provided to all the inmates.

Inspection of Sub Jail Atru by Ld. Chairperson TLSC Atru during the Lockdown period.

Inspection of Old Age Home Atru by Ld. Chairperson TLSC Atru

Distribution of Food packets to the poor and needy people at Gaadi Adda and Majdoor Basti Baran by DLSA Baran. DLSA Secretary, Staff and PLVs distributed cooked food packets in the poverty ridden areas during the lockdown period owing to Covid-19 emergent situation.

Covid-19 emergent situation - Lockdown period
DLSA Baran regularly distributed food packets to the poor downtrodden and needy people in the labour colony of Baran with the aid of Bhamashahs.

स्वधार-गृह का किया निरीक्षण, गृह को किया सेनेटाईज

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां के सचिव व जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा विधवा महिलाओं के निवास हेतु संचालित स्वधार-गृह का निरीक्षण किया। बारां।उक्त निरीक्षण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के दिशा-निर्देशों पर किए जाने के आदेश है। निरीक्षण कोरोना संक्रमण से महिलाओं के बचाव के लिए सप्ताह में दो बार सेनेटाईजेशन के निर्देश दिए। महिलाओं को मास्क एवं हेन्ड सेनेटाईजर्स प्रशासन के द्वारा प्रर्याप्त उपलब्ध करवाये गये है।

दैनिक भास्कर

चिन्हित बालगृह में रह रहे 55 बच्चों में से 53 को परिवारजनों को संभलाया

43 बच्चों को बालगृह से घर भेजा

बारां. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां के सचिव व एडीजे शिवकुमार ने मंगलवार को श्रीकृष्ण बालगृह किशनगंज का कोविड-19 में बालगृहों में निवासरत बच्चों के सुरक्षा के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निरीक्षण किया। बालगृह में रहने वाले बच्चों को उनके माता-पिता अथवा परिजनों को सुपुर्द करने के निर्देश के तहत बाल कल्याण समिति ने बालगृह के अधीक्षक के सहयोग से 54 में से 43 बच्चों को उनके माता-पिता के सुपुर्द किया।

बालगृह से 54 में से 43 बच्चों को परिवार के पास भेजा

बालगृह में निवासरत 54 में से 43 बच्चों को घर भेजे

संप्रेक्षण गृह व कारागृह का किया औचक निरीक्षण

जेल में रखें सफाई का ध्यान

पत्रिका

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किया जिला कारागृह का निरीक्षण

बारां 30 अप्रेल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारां के सचिव शिव कुमार एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां द्वारा जिला कारागृह, बारां का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डालसा सचिव शिवकुमार द्वारा जिला कारागृह मे बन्दियो से उनकी दैनिक दिनचर्या के बारे मे पूछा गया एवं उनके अधिकारों के बारे मे जानकारी दी गयी। कोरोना महामारी के मध्यनजर कैदियों को प्रत्येक 20 मिनट मे हाथ धोने एवं साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखने के बारे मे बताया गया। दोष बन्दियो बन्दियों को दैनिक रूप से प्रदान किये जाने वाले आहार की जानकारी प्राप्त की तथा खाने की क्वालिटी को चैक किया गया। जेल मे बैरकों मे साफ–सफाई अच्छी पाई गई और साफ सफाई का ध्यान रखने को जेलर को निर्देश दिये गये। भोजन करते समय एवं सोते समय प्रर्याप्त दूरी बनाये रखने के निर्देश प्रदान किये गये ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। भोजन मे सुबह नाश्ते मे पोहा दिया गया था। भोजन मे गेहू की चपाती, कद्दू की सब्जी एवं तुअर की दाल थी जो अच्छी थी।

जेलर ने बताया कि प्रति माह प्रतिमाह मेडिकल जांच करवाई जा रही है और सेनिटाईजिंग भी की जा रही है। जिला कारागृह, बारां मे 166 बन्दियो को रखने की क्षमता है परन्तु वर्तमान मे 217 बन्दी बन्द है। इस कारण उक्त कारागृह बन्दियो से ओवरलोडेड है। जिला कारागृह मे सेनिटाईजर एवं मास्क प्रर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है। डाक्टर द्वारा बन्दियो को रेगुलर जांच की जा रही है।

महिला बन्दी गृह का किया निरीक्षण–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां के सचिव शिवकुमार ने द्वारा महिला बन्दी गृह का भी निरीक्षण किया गया जिसमे महिला बन्दियों की दैनिक दिनचर्या के बारे मे पूछा गया। महिला बन्दियो की संख्या व बन्दी गृह की क्षमता के बारे मे भी जानकारी ली।

इसके अतिरिक्त महिला बन्दियो के लिए सेनेटरी नेपकिन्स व महिला चिकित्सक की उपलब्धता के बारे में भी पूछा गया। वहा उपस्थित जेलर ने उक्त सेनेटरी नेपकिन्स व महिला चिकित्सक की उपलब्धता के बारे मे बताया कि सेनेटरी नेपकिन्स समय समय पर उपलब्ध करवाये जाते है व एक स्थाई मेलनर्स को लगाया हुआ है जो वक्त निरीक्षण उपस्थित थी। जिला न्यायाधीश ने भोजन करते समय एवं सोते समय प्रर्याप्त दूरी बनाये रखने के निर्देश प्रदान किये गये ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके।

दैनिक भास्कर

वृद्धाश्रम का निरीक्षण कर दिए निर्देश

अटरू। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर कृष्णा गुप्ता वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश अटरू ने मायावतीनगर स्थित बाबा रामदेव वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थापक को रसोई में साफ-सफाई रखने, शौचालयों की सफाई समय पर करने व वृद्धजनों से उनके दैनिक दिनचर्या के बारे में जानकारी ली। उनके अधिकारों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कोरोनावायरस से सतर्क रहने व बचाव के उपाय बताते मास्क बांटे।

मास्क व सेनिटाइजर के अधिक दाम वसूले तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होगा निरस्त: शर्मा

दैनिक भास्कर

डालसा सचिव ने किया बारां जेल का निरीक्षण

कोरोना को लेकर सतर्कता

अब सउदी, थाईलैंड से लौटे सात लोग

25 की स्क्रीनिंग, एक की जांच

एडीजे ने किया सब जेल का निरीक्षण

उप कारागृह का निरीक्षण

कैदियों से मिलने पर लगी रोक

पत्रिका Fri, 20 March 2020

Shastri Market
Baran
Mob. 7863063786

दिशा DISHA

बारां व झालावाड से प्रकाशित, कोटा व बूंदी से प्रसारित

वर्ष 29 अंक 131 बारां (राजस्थान) डाक पंजीयन कोटा-52/2018-20

23 बंदियों की होगी कोरोना जांच

जिला कारागृह बारां का किया औचक निरीक्षण, 70 बंदियों को स्थानान्तरित करने के आदेश

जागरूकता • परीक्षाएं, शिविर, उर्स, सहभोग तथा धार्मिक आयोजनों को किया निरस्त

जेल में एडीजे ने 50 बंदियों को मास्क बांटे, सावधानी बरतने के दिए निर्देश

दैनिक भास्कर

जिले में विधिक हेल्प लाइन शुरू

बारां. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां की ओर से 24 घंटे सक्रिय रहने वाली हेल्प लाइन सेवा प्रारंभ की गई है। इसका मोबाइल नम्बर 8306002105 पर कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करा सकता है तथा विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त कर सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शिव कुमार ने बताया कि इस हेल्पलाइन के माध्यम से कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्या को दर्ज करवा सकता है तथा व्हाट्सएप के माध्यम से भी संदेश भेज सकता है।

पत्रिका Fri, 17 Apr epaper.patr

गरीब का हक ना छीने संपन्न लोग : शिव कुमार

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवकुमार ने बताया कि पैनल अधिवक्ता बालमुकुंद गुर्जर अधिवक्ता के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बारां शहर में गरीबों के लिए निःशुल्क गेहूं का वितरण खाद्यान्न हेतु समस्त डीलरों के माध्यम से किया जा रहा है जो एक अच्छी पहल है लेकिन गरीबों के हक के गेहूं को बारां शहर में अधिकतर धन से सक्षम व संपन्न लोग जो गरीबी की श्रेणी में नहीं आते हैं वो भी प्राप्त कर रहे हैं। सक्षम व संपन्न व्यक्ति गरीबों के हिस्से गेहूं लेकर गरीबों के हितों पर कुठाराघात नहीं करें। अगर कोई सक्षम व्यक्ति जांच के दौरान गलत तरीके से गरीबों को वितरित किये गये गेहूं व अन्य खाद्य सामग्री को प्राप्त करता हुआ पाया जाता है तो जिला प्रशासन को कठोर कार्यवाही किये जाने लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां द्वारा सूचित करना पड़ेगा।

जिला कारागृह का निरीक्षण किया

जिला कारागृह का निरीक्षण किया

बारां (निसं)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारां के सचिव शिव कुमार एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां द्वारा जिला कारागृह, बारां का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान डालसा सचिव शिवकुमार द्वारा जिला कारागृह में बन्दियों से उनकी दैनिक दिनचर्या के बारे में पूछा गया एवं उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गयी। जेलर ने बताया कि प्रति माह प्रतिमाह मेडिकल जांच करवाई जा रही है और सेनेटाईजिंग भी की जा रही है। जेल में 166 बन्दियों को रखने की क्षमता है परन्तु वर्तमान में 217 बन्दी बन्द है।

इस कारण उक्त कारागृह बन्दियों से ओवरलोडेड है। सचिव शिवकुमार ने महिला बन्दी गृह का भी निरीक्षण किया गया। महिला बन्दियों के लिए सेनेटरी नैपकिन्स व महिला चिकित्सक की उपलब्धता के बारे में भी पूछा गया। जिला न्यायाधीश ने भोजन करते समय एवं सोते समय प्रर्याप्त दूरी बनाये रखने के निर्देश प्रदान किये गये ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके।

'सरकार व चिकित्सा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करें'

वैश्विक महामारी के प्रति स्वयं जागरूक रहकर सभी दिशा-निर्देशों की पालना करें : एडीजे गुप्ता

BREAKING NEWS
NEWS
जिला विधिक प्राधिकरण का फ्रंट आफिस हेल्पलाईन
नं. 8306002105 शुरू

BREAKING NEWS
NEWS
विमंदित बालगृह के 53 बच्चों को उनके
परिवारजनों को संभलाया

BREAKING NEWS
NEWS
कोरोना वायरस के सक्रमण को नियंत्रित
करने के दिशा निर्देश

HEADLINES
NEWS
बारां। कोरोना वायरस के सक्रमण को नियंत्रित करने के दिशा निर्देश

BREAKING NEWS
NEWS
www.enewsinn.in
मास्क, सेनेटाईजर को मंहगे दामों पर बेचा
तो होगी कानूनी कार्यवाही
विगत कुछ दिनों से सम्पूर्ण राजस्थान में मास्क व सेनेटाईजर की कृत्रिम कमी व अनुचित दाम वसूलने की शिकायतें आई है और दुकानदारों विशेषकर मेडिकल स्टोर द्वारा 50
रुपये का सेनेटाईजर 200रुपये में तथा 3रुपये का मास्क 20 रुपये में बेचे जाने की खबरें है। इन वस्तुओं की कृत्रिम कमी दर्शित की गई है कि जो भी एक मुनाफाखोरी का प्रमाण हो सकती है।

BARAN

Food Packets

21000

Ration Packets

450 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

16

Bail Applications

264

Bail Applciation POCSO/Children Courts

23

Legal Aid

622

Compensation Granted

6785000

Awareness Programmes

32

Number of Calls received –

603

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

14

Help Provided

22977

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

224000

Payment to Para Legal Volunteers

18500

DISTRICT BHARATPUR

Awareness Campaign against Covid-19.

DLSA Bharatpur has Launched a mass awareness campaign against Covid-19 through Mobile Van, Social Media, also made appx. 50000 Phone Calls giving message about social distancing and downloading Arogya Setu App. DLSA Bharatpur has approached more than 2 Lac people in whole district, more than 15000 people have downloaded Arogya Setu App by efforts of DLSA Bharatpur.

आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवाया

भरतपुर. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ऑनलाइन तरीकों का सहारा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया एवं फोन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सचिव राजेन्द्र चौधरी ने बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर से जुड़े 38 पैरालीगल वॉलेंटियर्स एवं 52 पैनल अधिवक्ताओं ने भरतपुर, डीग, बयाना, कामां, वैर, रूपवास, नगर एवं नदबई में लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा जागरूक करने के लिए आरोग्य एप डाउनलोड करवाने के लिए जागरूक किया। इनके प्रयासों से लगभग 11500 लोगों ने आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किया।

Sanitization of Children Homes and Jails.

All the 13 Children Homes, Remand Homes and Safety Places are being sanitized twice in a week along with central jail and sub-jails.

A Mega Food Programme for daily wages and migrant labourers

DLSA Bharatpur helped more than 10000 people by Ration Kits and Food Packets.

1000 मजदूरों को भोजन कराया

भरतपुर (निस)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर के तत्वावधान में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पलायन कर रहे मजदूरों को भरतपुर सचिव राजेन्द्र चौधरी मय स्टाफ ऊंचा नगला पोस्ट पर मौजूद रहे। चैक पोस्ट पर बसों से आ रहे लगभग 1000 मजदूरों को सैनेटाइजर से हाथ धुलवाये एवं भोजन सामग्री व पानी के पाउच वितरित किये गये। सम्पूर्ण सामग्री अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अपने निजी अंशदान से एकत्रित कर वितरित की गई।

राष्ट्रदूत

संक्षिप्त

श्रमिकों को पहुंचायी राहत सामग्री

भरतपुर (निस)। हाईवे से गुजरने वाले मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश के मजदूरों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर द्वारा सेवर, [illegible] पार्क, सारस चौराहा, [illegible] में एक हजार पानी के पाउच, पांच सौ बिस्किट के पैकेट एवं ढाई सौ फूड पैकेट्स पहुंचाये गये। इसी प्रकार [illegible] स्कूल में रुके हुये श्रमिकों को मध्यप्रदेश जाने की व्यवस्था जिला प्रशासन के समन्वय से करवायी गयी।

भरतपुर. वार्ड 50 के जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री का वितरण पार्षद रामेश्वर सैनी एवं बाल संरक्षण इकाई की सदस्य बबीता शर्मा की ओर से किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिहाड़ी श्रमिक सहायता अभियान के अंतर्गत श्री बांके बिहारी भगत मंडल द्वारा काली बगीची, शिव नगर, आरबीएम हॉस्पीटल के आसपास कच्ची बस्तियों में 130 भोजन पैकेट वितरित किए गए।

प्रसाद गुप्ता आदि मौजूद थे।

कैंसर पीड़ित को दी राशन सामग्री

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर में सचिव राजेंद्र चौधरी के निर्देश पर लॉक डाउन के दौरान गोपालगढ़ मोहल्ला में एक गर्भवती महिला रजिया पत्नी इरफान व एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति को राशन सामग्री भिजवाई गई।

भरतपुर। निशक्तजन को राशन सामग्री वितरित करते हुए।

वितरण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चलाए जा रहे दिहाड़ी श्रमिक सहायता अभियान के अंतर्गत रविवार को 70 राशन किट और 130 लंच के पैकेट वितरित किए गए। इस मौके पर बांके बिहारी भगत मंडल के सहयोग से काली बगीची, शिव नगर, आर.बी.एम. हॉस्पीटल के आस-पास कच्ची बस्तियों में 130 लंच पैकेट वितरित किए गए। वहीं संजय सिंह चाहर एडीजे उत्तर प्रदेश एवं स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार स्वामी के सहयोग से 70 राशन किटों का वितरण [illegible] कुंडा, कृष्णा नगर, राजेन्द्र नगर, सिविल लाइन्स की श्रमिक बस्तियों में किया गया।

राशन किट वितरित किये

राष्ट्रदूत

DLSA Bharatpur is providing legal services under art 39a to jail inmates and arrested persons through Legal Aid Defence Counsel system.

लॉकडाउन में हेल्पनम्बर जारी

बन्दियों को जमानत दिलायी

राष्ट्रदूत

दस कैदियों को मिली जमानत

भरतपुर। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सोमवार को 10 कैदियों को जमानत दिलाई गई। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कैदी जिनकी अधिकतम सजा 7 वर्ष या उससे कम है उन्हें जमानत देने के आदेश दिए हैं। इसके तहत 10 कैदियों को सोमवार को जमानत दिलाई गई। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पिछले माह सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में कैदियों के बीच कोरोना संक्रमण नहीं फैले इसको लेकर दिशा-निर्देश दिए थे।

BHARATPUR

Food Packets

15000

Ration Packets

1100 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

9

Bail Applications

93

Bail Applciation POCSO/Children Courts

4

Legal Aid

218

Compensation Granted

-

Awareness Programmes

-

Number of Calls received –

518

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

11

Help Provided

45600

Webinars

2

Payment to Panel Lawyers

582000

Payment to Para Legal Volunteers

56000

DISTRICT BHILWARA

कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु पत्रांक 8728–8762 दिनांक 19.03.2020 की पालना में कोरोना वायरस के संबंध में आमजन को जागरूक करने के लिए प्रचार–प्रसार करने बाबत् 25 बैनर मुद्रित करवाकर मुख्यालय तथा समस्त तालुका को भिजवाकर न्यायालय परिसर में लगवाये गये।

दिनांक 20.03.2020 समस्त तालुका अध्यक्ष को पत्र प्रेषित कर कोरोना वायरस के संबंध मे आमजन को जागृत करने के लिए माननीय रालसा द्वारा ऑडियो संदेश को स्थानीय सफाई कर्मचारी जो हुपर लेकर आते है उनमे नियमित अन्तराल पर बजाने के लिए स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क कर प्रसारित करने के लिए निर्देशित किया गया।

दिनांक 23.03.2020 को श्रीमान जिला कलेक्टर, आयुक्त नगर परिषद तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा को पत्र प्रेषित कर सम्पूर्ण भीलवाड़ा क्षेत्र में सोडियम हाईपोक्लोराईट का छिड़काव करने के लिए लिखा गया जिसके अनुसरण में सम्पूर्ण शहर में सोडियम हाईपोक्लोराईड का छिड़काव किया गया।

दिनांक 27.03.2020 को प्रबंधक एवरेस्ट शिक्षा समिति भीलवाड़ा को पत्र प्रेषित कर संस्थान में पंजीकृत बालकों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए आदेशित किया गया था। पत्र के जवाब में संस्थान द्वारा बताया गया कि संक्रमण के बचाव हेतु एवरेस्ट ओपन शेल्टर होम के बालकों को बाल कल्याण समिति व चाइल्ड लाईन के सहयोग से 24 मार्च को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वर्तमान में संस्थान में एक भी पंजीकृत बालक नहीं है।

दिनांक 28.03.2020 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र प्रेषित कर जिला कारागृह, उपकारागृहों तथा बाल सम्प्रेषण गृह में पर्याप्त संख्या में सेनेटाईजर व मास्क उपलब्ध कराने के साथ ही सम्पूर्ण परिसर में हाईपोक्लोराईट का छिड़काव करने के निर्देश दियें। दिनांक 28.03.2020 को ही पत्र द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को माननीय जिला न्यायाधीश के कार्यालय, जिला मुख्यालय पर दो न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय तथा तालुका स्थित न्यायालयों में पर्याप्त संख्या में सेनेटाईजर, मास्क व ग्लब्ज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

लॉकडाउन के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन संख्या 01/2020 में पारित आदेश दिनांक 23.03.2020 तथा माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्र दिनांक 24.03.2020 के अनुसरण में नियमित रूप को अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक आयोजित की गई।

लॉकडाउन अवधि में दिनांक 29.03.2020 तथा 09.04.2020 को जिला कारागृह भीलवाड़ा तथा बाल सम्प्रेषण गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी, बालगृह पालड़ी का निरीक्षण किया गया। पूरे गृह को सोडियम हाइपोक्लोराईट से सेनेटाईज करवाया गया तथा कोविड–19 से बचाव के संबंध में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी गाइडलाईन्स की जानकारी दी गई।

लॉकडाउन अवधि में माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन सुओ मोटो 01/2020 में पारित आदेश एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कारागृह में निरूद्ध बंदियों के धारा 437 Crpc के अन्तर्गत कुल 31 जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें से कुल 89 आवेदन स्वीकृत किये गये तथा निरस्त होने के कारण प्रस्तुत धारा 439 Crpc के जमानत प्रार्थना पत्रों सहित धारा 439 Crpc के अन्तर्गत कुल 26 जमानत आवेदन पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किये गये जिनमें से 4 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये।

लॉकडाउन अवधि के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुओ मोटो रिट पिटिशन 04/2020 में पारित आदेशों के अनुसरण में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष न्यायमित्र की ओर से 32 जमानत/ सुपुर्दगी आवेदन प्रस्तुत किये गये। जिनमें से दिनांक 13.04.2020 को 10 आवेदन पत्रों को स्वीकार किया गया और 22 को अस्वीकार किया गया। उक्त 22 अस्वीकृत जमानत आवेदन पत्रों के आदेशों के विरूद्ध आज दिनांक 15.04.2020 को बालक न्यायालय (पोक्सो संख्या 01) के समक्ष धारा 101 किशोर न्याय अधिनियम के तहत न्यायमित्र की ओर से अपील प्रस्तुत करवा दी गई है।

तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा व अभिभाषक संस्था, शाहपुरा द्वारा दिनांक 10.04.2020 को राशन सामग्री की कमी से जूझ रहे गरीब एवं वंचित परिवारों को राशन सामग्री पहुँचाने के लिए 100 राशन किट तैयार कर उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को सुपुर्द किये गये।

जिला कारागृह एवं बाल सम्प्रेषण गृह का किया निरीक्षण

लोकजीवन न्यूज सर्विस, भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव चौधरी ने जिला कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जेल अधीक्षक चैन सिंह राठौड़ से बंदियों के स्वास्थ्य तथा उनको दी जा रही अन्य चिकित्सा सुविधाओं बाबत् विस्तृत जानकारी ली गई। संदिग्ध लक्षण वाले बंदियों को अलग बैरक में रखने एवं नये आने वाले बंदियों को भी अलग अलग बैरक में रखने के निर्देश दिए गये। बंदियों को मास्क लगाने एवं सैनिटाइजर उपयोग में लेने, दूरी बनाये रखने एवं साबुन से हाथ धोने के लिए कहा। कारागृह अधीक्षक ने बताया कि कारागृह में नियमित डाक्टर एवं चिकित्साकर्मी नियमित रूप से आ रहे हैं। साथ ही जेल परिसर में साफ सफाई, पानी एवं पंखे बल्ब आदि की व्यवस्थाओं को भी देखा गया। जेल

कोरोना संक्रमण को लेकर जिला कारागृह का निरीक्षण करते हुए जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव चौधरी व अन्य

परिसर में स्थित रसोईघर का भी निरीक्षण कर बंदियों को दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की गई। बंदियों से भी बातचीत की गई एवं उनको दी जा रही सुविधाओं बाबत् भी जेल प्रशासन से जानकारी प्राप्त की गई। बंदियों को निःशुल्क पैनल की जानकारी दी ताकि उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता मिल सके। श्री राजीव चौधरी ने आवश्यक दिशा निर्देश जेल अधीक्षक को दिए। इसी क्रम में बाल सम्प्रेषण गृह पथवारी का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में साफ सफाई, भोजन, आहार की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, बालकों का काउंसलिंग एवं खेल गतिविधि के साधनों की व्यवस्थाओं व बालकों के हितों की रक्षा आदि की देखरेख गया एवं आवश्यक निर्देश सम्बंधित अधिकारी को दिए गये। बाल निरीक्षण विजय सिंह बाल अधिकार, सुरक्षा अधिकारी राजकीय संप्रेषण अधिकारी भी साथ थे।

BHILWARA

Food Packets

2925

Ration Packets

301 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

32

Bail Applications

89

Bail Applciation POCSO/Children Courts

22

Legal Aid

111

Compensation Granted

0

Awareness Programmes

5

Number of Calls received –

211

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

4

Help Provided

1972

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

2,54,875

Payment to Para Legal Volunteers

10,000

DISTRICT BIKANER

39 Bail Applications of jail inmates were filed before concerned court wherein 18 applications were allowed and inmates were released on bail.

Umpteen Number of Awareness Programme were organised across the District.

Awareness through Auto drive is also been organised.

500 Packets of Ration kit distributed.

BIKANER

Food Packets

300

Ration Packets

05 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

7

Bail Applications

39

Bail Applciation POCSO/Children Courts

0

Legal Aid

5

Compensation Granted

12,00,000

Awareness Programmes

22

Number of Calls received –

20

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

4

Help Provided

20

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

48000

Payment to Para Legal Volunteers

11000

DISTRICT CHITTORGARH

जिला चित्तौड़गढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्मिकों की पहल पर निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम आरम्भ किया गया अभूतपूर्व है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़ द्वारा भोजन से वंचित गरीब, पीड़ित 1560 व्यक्तियों को राशन किट को उपलब्ध करवाये गये।

जिला कारागृह से गैर जमानती धारा में 54 में से 41 बंदियों के आवेदन स्वीकार कर रिहा किया

जरूरतमंदों को राशन सामग्री पहुंचाकर सेवा के नये आयाम स्थापित कर रहा विधिक सेवा प्राधिकरण

कोरोना की जंग में भामाशाह आ रहे आ

24 घण्टों में 1800 किलो रसद सामग्री की वितरित

कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोये: न्यायाधीश जैन

भूख से पीड़ितों के लिए सहारा बना विधिक सेवा प्राधिकरण

ने किया गिलोय घनवटी गोलियां थैलियां एवं मास्क का वितरण

विधिक कार्मिकों की पहल: 330 परिवारों को मिला राशन, न्यायाधीश भी आगे आए

जिले में स्थापित क्वारेंटाइन सेंटर्स के किए निरीक्षण

जरूरतमंदों को पहुंचाई राशन सामग्री

लगातार 22वें दिन जारी रहा राशन वितरण

बाल विवाह रोकथाम के लिए लिखा पत्र

CHITTORGARH

Food Packets

0

Ration Packets

1550 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

6

Bail Applications

125

Bail Applciation POCSO/Children Courts

37

Legal Aid

168

Compensation Granted

0

Awareness Programmes

-

Number of Calls received –

440

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

8

Help Provided

18368

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

144750

Payment to Para Legal Volunteers

0

DISTRICT CHURU

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू द्वारा चूरू की विभिन्न कच्ची बस्तियों, मजदूर वर्ग जो नित्य आमदनी पर ही निर्भर हैं उनके लिये भोजन पैकेट्स व कच्ची खाद्य सामग्री का वितरण जिला प्रशासन, आजीविका, आपदा प्रबन्धन व स्थानीय एन.जी.ओ. के सहयोग से मोबाईल वाहन के माध्यम से किया गया जिससे इस आपदा में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोये इस परिकल्पना को स्थानीय प्रशासन के समन्वय से साकार किया गया।

जेल परिसर में पूर्व से रह रहे बंदियों व नवआगन्तुक बंदियों को किस प्रकार रखा जाये तथा उनकी नियमित मेडिकल जांच व उनके मध्य दूरी बनाये रखने की जानकारी दी गई ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। इसी क्रम में माननीय रालसा के निर्देशन में कारागृहों में निरूद्ध बंदियों के 437 सीआपीसी, 439 सीआरपीसी जिनमें से 437 सीआरपीसी के कुल 60 जमानत आवेदन तथा 439 सीआरपीसी के कुल 11 आवेदन स्वीकार किये गये तथा विधि से संघर्षरत कुल 04 बालकों के जमानत आवेदन प्रस्तुत करवाये गये जिनमें से 3 आवेदन पत्र स्वीकार हुआ।

राशन वितरण : इस प्राधिकरण द्वारा चूरू मुख्यालय की विभिन्न कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले लोगों व मजदूर वर्ग के लोगों (जरूरतमंद) के परिवारों को राशन सामग्री एवं भोजन पैकेट्स का वितरण समय–समय पर करवाया गया और इस हेतु जिला प्रशासन से समन्वय बनाये रखा।

लाभार्थी : लगभग 2740 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

Dainik Tej, Hanumangarh April 04,...

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व अन्य समाजसेवियों के सहयोग से राशन वितरण किया

तेज. दिलीप सोनी | चूरू

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार दड़िया द्वारा आज जिला प्रशासन के सहयोग एवं मोबाइल वाहन के माध्यम से चूरू मुख्यालय पर स्थित विभिन्न कच्ची बस्तियों में निवासरत दैनिक मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले लोगों को खाद्य सामग्री के पैकेट वितरित किए गए जिसमें राजीविका मिशन, मुस्कान संस्थान के अंतर्गत संचालित आपणी पाठशाला के संयोजक धर्मवीर जाखड़ तथा जिला प्रशासन एवं बार एसोसिएशन चूरू के अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा तथा राजेन्द्र कुमार राजपुरोहित, देवेंद्र जोशी, बनवारी शर्मा, ओमप्रकाश तंवर, डॉ. शशिकांत सोनी, शैलेन्द्र सोनी ने चूरू में स्थित विभिन्न कच्ची बस्तियों एवं अग्रसेन नगर मंगला कॉलोनी एवं पेहरसर समाज के पास स्थित निवासरत मजदूरों के डेढ़ सौ से अधिक परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की, खाद्य सामग्री के पैकेट में आटा दाल मसाले और साबुन आदि वितरित किए गए।

इस मौके पर सहयोग करने वाले टीम आपणी पाठशाला चूरू के दिनेश सैनी, अशोक शेखावत खाद्य वितरण समिति कृष्ण शेखर, सुमित गुर्जर, अजय गोयल आदि ने सहयोग किया।

Dainik Tej, Hanumangarh April 04,...

तेज | हनुमानगढ़ जंक्शन | शनिवार, 4 अप्रैल 2020

विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए 150 परिवारों तक पहुंचे फूड पैकेट

तेज. दिलीप सोनी | चूरू

जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजीविका मिशन, मुस्कान संस्थान के अंतर्गत संचालित आपणी पाठशाला, बार एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर विभिन्न स्थानों के 150 परिवारों को 600 फूड पैकेट वितरित किए गए। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश दड़िया ने बताया कि चूरू मुख्यालय के विभिन्न स्थानों पर कच्ची बस्तियों में निवासरत गरीब व दैनिक मजदूरों को फूड पैकेट के साथ-साथ कच्ची खाद्य सामग्री जैसे आटा, दाल, मसाला एवं साबुन का वितरण किया गया। इस दौरान आपणी पाठशाला के संयोजक धर्मवीर जाखड़,

अध्यक्ष अधिवक्ता संघ पवन कुमार शर्मा, अधिवक्ता राजेन्द्र राजपुरोहित, देवेन्द्र जोशी, बनवारी शर्मा, ओमप्रकाश तंवर, शशिकांत सोनी, शैलेन्द्र सोनी आदि उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि मोबाइल वैन के माध्यम से चूरू मुख्यालय की अग्रसेन नगर, मंगला कॉलोनी स्थित एवं पेहरसर समाज के पास स्थित कच्ची बस्तियों में निवासरत दैनिक मजदूरों के 150 से अधिक परिवारों को कच्चा राशन जिसमें आटा, दाल, मसाला एवं साबुन इत्यादि वस्तुओं का वितरण किया गया। इसी क्रम में लगभग 600 खाने के पैकेटों का भी वितरण किया गया।

घर-घर, ढाणी-ढाणी आर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

चूरू. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अय्यूब खान के निर्देशन में मंगलवार को सचिव प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार दड़िया ने भामाशाहों, दानदाताओं व संस्थाओं के सहयोग से नर्बदा बस स्टैंड कच्ची बस्ती और अन्य बस्तियों में खाद्य सामग्री वितरित कराई। आपणी पाठशाला के धर्मवीर जाखड़, अजय गोयल, दीपचंद सारण, दिनेश सोनी, सुमित गुर्जर एवं विक्रमसिंह मौजूद रहे।

चूरू. खाद्य सामग्री वितरित करते प्राधिकरण सचिव राजेश दड़िया।

Food Packets

870

Ration Packets

2740 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

3

Bail Applications

71

Bail Applciation POCSO/Children Courts

3

Legal Aid

13

Compensation Granted

1,25,000

Awareness Programmes

0

Number of Calls received –

34

Inspecties

06

Help Provided

37

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

0

Payment to Para Legal Volunteers

0

DISTRICT DAUSA

हार्दिक स्वागत करता है।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला दौसा

सूचना केन्द्र

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उठाए कदमों का लिया जायजा

दौसा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा वधवा ने कारागृहों में निरुद्ध बंदियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। उन्होंने विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास एवं जिला कारागृह का निरीक्षण किया गया। सचिव ने कारागृहों में बंदियों को रहने के लिए पर्याप्त व समुचित स्थान, शयन में पर्याप्त दूरी, बंदियों की नियमित स्वास्थ्य जांच, संक्रमण से बचाव के लिए जेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। वर्तमान में निरीक्षण के दौरान कारागृह में क्षमता से अधिक बंदी नहीं पाए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने किया कारागृहों का निरीक्षण

दौसा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा वधवा ने कारागृहों में निरुद्ध बंदियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। उन्होंने विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास एवं जिला कारागृह का निरीक्षण किया गया। सचिव ने कारागृहों में बंदियों को रहने के लिए पर्याप्त व समुचित स्थान, शयन में पर्याप्त दूरी, बंदियों की नियमित स्वास्थ्य जांच, संक्रमण से बचाव के लिए जेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। वर्तमान में निरीक्षण के दौरान कारागृह में क्षमता से अधिक बंदी नहीं पाए गए।

कोरोना वायरस से बचाव की दी जानकारी

दौसा @पत्रिका. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा की सचिव रेखा वधवा ने शनिवार को जिला कारागृह दौसा में निरुद्ध बंदियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। सचिव ने कारागृहों में बंदियों को रहने के लिए पर्याप्त व समुचित स्थान, शयन में पर्याप्त दूरी, बंदियों की नियमित स्वास्थ्य जांच, संक्रमण से बचाव के लिए जेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों इत्यादि का निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों की पालना करने को कहा।

दौसा में किशोर गृह का निरीक्षण

दौसा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा वधवा ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लेने राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गृह में 3 बालक निरुद्ध थे, जिनको गृह द्वारा मास्क एवं सेनेटाइजर्स उपलब्ध कराए हुए थे। उन्होंने गृह में स्वच्छता व्यवस्था के निर्देश दिए। बालकों को संक्रमण से बचाव के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की जानकारी प्रदान दी। उन्होंने उन्हें बार-बार साबुन से हाथ धोने, एक-दूसरे के मध्य पर्याप्त दूरी बनाए रखने, मास्क व सेनेटाइजर का प्रयोग करने को कहा। गृह अधीक्षक एवं कर्मचारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना करने के निर्देश प्रदान किए। बालकों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराने तथा किसी भी बालक में सर्दी, जुकाम, बुखार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत ही चिकित्सक से परामर्श करने के निर्देश प्रदान किए गए।

किशोर गृह का निरीक्षण

दौसा. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा की सचिव रेखा वधवा ने राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह का निरीक्षण कर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। कोरोना से बचाव के उपायों को देखकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जेलों का निरीक्षण कर दिए निर्देश

बंदियों की जमानत पर किया जा रहा है विचार

दौसा @ पत्रिका. राष्ट्रीय लोक डाउन के तहत जिले की अदालतों में सामान्य कामकाज बन्द है, परन्तु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा के कार्यालय का नियमित कामकाज संचालित हो रहा है। कारागृहों में भीड़ कम करने की मुहिम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा द्वारा दौसा जिले में स्थित 3 कारागृहों में पहली बार अपराधकारित करने वाले तथा 7 वर्ष तक की सजा वाले विचाराधीन बंदियों को चिह्नित कर उनकी जमानत प्रक्रिया आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है।

इस सम्बन्ध में दौसा जिले के 10, भीलवाड़ा जिले के 18 तथा अलवर जिले के 2 विचाराधीन बंदियों के जमानत प्रार्थना पत्र भरवा कर ड्यूटी न्यायालयों में पेश करवाया गया। इससे पूर्व पुलिस को आवेदन पत्रों की प्रति भी दी गई। इनमें से अब तक भीलवाड़ा जिले के 3 व दौसा जिले के भी 3 बंदियों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त बंदियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला विधिक सचिव रेखा वधवा ने जानकारी दी और समय-समय पर कारागृहों का निरीक्षण किया जा रहा है। बंदियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए अधीक्षकों को एक बैरक में प्रत्येक बंदी को 40 से 70 स्क्वायर फीट जगह उपलब्ध कराने, बंदियों के मध्य शयन में पर्याप्त दूरी रखे जाने, कारागृहों की नियमित सफाई किए जाने एवं फिनाइल का पौंछा लगाने आदि की जानकारी दी।

Food Packets

118

Ration Packets

0 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

1

Bail Applications

27

Bail Applciation POCSO/Children Courts

2

Legal Aid

19

Compensation Granted

-

Awareness Programmes

9

Number of Calls received –

25

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

03

Help Provided

163

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

241919

Payment to Para Legal Volunteers

40500

DISTRICT DHOLPUR

Bail Application of 66 Jail Inmates have been filed before concerned Court.
Informative Banners were placed public places.
E Rikshaw drives announcing do's and don'ts were carried out.
Ration is distributed to 60 families.

1098

संरक्षण व सुरक्षा के प्रचार को ई-रिक्शा रवाना

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

धौलपुर. स्वच्छ भारत मिशन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से संचालित चाइल्डलाइन के माध्यम से एक कदम स्वच्छता की ओर एवं देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करवाने के उद्देश्य से जिले में ई-रिक्शा से प्रचार प्रसार किया जाएगा।

इस दौरान स्वच्छता एवं चाइल्ड हैल्प लाइन 1098 के होर्डिंग लगाकर और ऑडियो साउंड लगाकर आमजन को जागरुक किया जाएगा। इसके लिए चाइल्ड लाइन 1098, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रयत्न संस्था के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को कोर्ट परिसर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शक्ति सिंह, संस्था के एडवोकेसी ऑफिसर राकेश कुमार तिवाड़ी एवं चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक सागर राणा ने ई-रिक्शा को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। ई-रिक्शा में आमजन को स्वच्छ रहने के लिए सामग्री जैसे टूथ ब्रश, टूथ पेस्ट, नेलकटर, साबुन, मास्क, सैनेटाइजर, स्वच्छता और चाइल्ड लाइन की जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं चाइल्ड लाइन की तरफ से पम्फलेट वितरित किए जाएंगे। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संजय शर्मा, सुरेन्द्र, वी. पी. सिंह तौमर, गौरव, दीक्षा एवं संस्था के ताराचन्द टेलर, रजनी जैन, दीपक भार्गव आदि मौजूद रहे।

धौलपुर. कोर्ट परिसर से हरी झण्डी दिखाकर ई-रिक्शा को रवाना करते प्राधिकरण सचिव।

जरूरतमंद, गरीब व्यक्तियों को उपलब्ध करवाई गई खाद्य सामग्री

जरूरतमंद लोगों को किया राशन वितरित

कोरोना वायरस से नहीं घबराने की अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शक्ति सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना से घबराएं नहीं तथा साफ-सफाई के साथ इससे बचाव के उपायों को अपनाएं। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर इस अवधि के कार्य दिवसों में केवल जमानत प्रार्थना पत्र, रिमाण्ड मैटर्स, स्थगन व सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र, धारा 164 जाब्ता फौजदारी के तहत बयान दर्ज करने जैसे अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी व राजाखेड़ा स्थित किसी भी अदालत में पक्षकारों के आने से मना किया गया है। मध्यस्थता केन्द्र धौलपुर एवं बाड़ी में न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता के लिए रैफर किए गए प्रकरणों में से अति आवश्यक प्रकरणों को छोड़कर पक्षकारों को इस अवधि में उपस्थित होने से छूट प्रदान की गई है। विधि विद्यार्थी एवं प्रशिक्षु विद्यार्थियों का प्रवेश भी प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित कार्य के लिए संबंधित व्यक्ति कार्यालय के ईमेल पर अपना प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकता है।

जरूरतमंद व गरीब व्यक्तियों को उपलब्ध करवाई गई खाद्य सामग्री

हमारा संवाददाता

DHOLPUR

Food Packets

25

Ration Packets

79Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

2

Bail Applications

66

Bail Applciation POCSO/Children Courts

0

Legal Aid

52

Compensation Granted

0

Awareness Programmes

0

Number of Calls received –

42

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

4

Help Provided

740

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

22000

Payment to Para Legal Volunteers

7500

DISTRICT DUNGARPUR

Ration is made available to 21500 poor and needy persons.

All the homes, shelter homes, jails, and Observation home of District are being monitored to ensure that hygiene and sanitation be maintained.

DUNGARPUR

Food Packets

74400

Ration Packets

24246

Bails b/f JJBs / CWCs

8

Bail Applications

10

Bail Applciation POCSO/Children Courts

0

Legal Aid

1

Compensation Granted

0

Awareness Programmes

15

Number of Calls received –

2

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

6

Help Provided

21521

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

0

Payment to Para Legal Volunteers

0

DISTRICT HANUMANGARH

जिले में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए: ज्ञानप्रकाश गुप्ता

[illegible]

लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाने में जुटे न्यायिक अधिकारी

जिला एवं सेशन न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने न्यायिक अधिकारियों से किया वंचित वर्ग को भोजन बनाकर वितरित करने का आह्वान

[illegible]

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीबों को भोजन का वितरण

[illegible]

न्यायाधीश पर कर रहे भोजन का वितरण

हनुमानगढ़. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को निशुल्क भोजन उपलब्ध करवा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश ज्ञानप्रकाश गुप्ता ने बताया कि जिले के सभी न्यायालय के न्यायाधीश की मदद से गरीब परिवारों को भोजन के पैकेट वितरित किए जाएंगे। पैनल अधिवक्ता गुरपाल सिंह सैनी व एडीआर सेन्टर के स्टाफ लक्ष्मीनारायण ने मंगलवार को न्यायिक अधिकारी राधिका सिंह चारण, अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ व सुमन चैधरी, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय हनुमानगढ़ के साथ मिलकर भोजन के पैकेट को झुग्गी झोपड़ियों व कच्ची बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों को वितरण किया।

पी.एल.वी. हरबंस लाल ने जरूरतमंदों को राशन का सामान बांटा

पीलीबंगा, 29 मार्च (जीतू): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़, जिला प्रशासन हनुमानगढ़ के मार्गदर्शन तथा स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशानुसार रविवार को पी.एल.वी. हरबंस लाल महाराण ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते पूरा प्रदेश लॉकडाउन हो चुका है, ऐसे में जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने का जिम्मा उठाकर एक अनूठी पहल की है।

पीलीबंगा: गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध करवाते पी.एल.वी. हरबंस लाल एवं अन्य। (जीतू)

पी.एल.वी. हरबंस लाल महाराण ने चक 17 एस.पी.डी. में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले 11 गरीब [illegible] 3 सदस्यों को खाने-पीने का सामान उपलब्ध करवाया। राशन में आटा, दाल, चावल, नमक, मसालों का तेल तथा वायरस से बचने के लिए हाथ धोने के लिए 11 डिटोल साबुन का वितरण किया। राशन को सभी परिवारों के हाथों को सैनेटाइज करवाया गया। इस वितरण कार्यक्रम में श्री राम कन्या महाविद्यालय जाखड़ावाली के प्राचार्य राम सिंह ने 11 गरीब परिवारों को सब्जी का वितरण किया।

इस कार्य में जाखड़ांवाली पुलिस चौकी कांस्टेबल मानक राम लोहिया, गुरप्रीत सिंह, समाज सेवक राकेश बगड़िया, ग्रामीण अजय शर्मा, विजय मोदी व देवी लाल जोशी का सराहनीय योगदार रहा। हरबंस लाल ने बताया कि इस पूरे लॉकडाउन के तहत गरीब परिवारों को हरसंभव राशन उपलब्ध करवाया जाएगा।

मास्क बनाकर वितरण करवाने में बेटियां भी पीछे नहीं

भादरा, 29 मार्च (नियामत): क्षेत्र में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति में जहां विभिन्न संगठन जरूरतमंदों की सेवा में लगे हुए हैं, गांवों में छिड़काव हो रहे हैं, मास्क वितरण किए जा रहे हैं वहीं मास्क सिलाई कर उनका नि:शुल्क वितरण करवाने में क्षेत्र में अनेक महिलाएं, युवतियां व बेटियां भी पीछे नहीं हैं।

गांव छानीबड़ी में दर्जी का कार्य करने वाले सुभाष सोनी की पुत्री बी.ए. प्रथम वर्ष की छात्रा सुप्रिया भी इन दिनों मास्क बनाकर उनका नि:शुल्क वितरण करवा रही है। सुप्रिया का कहना है कि इस समय कोरोना को लेकर देश संकट की स्थिति में है और हम सभी का दायित्व है कि हम सबका सहयोग करें। वे अब तक 500 से ज्यादा मास्क बनाकर बंटवा चुकी हैं। इसके लिए उन्हें कपड़ा और आवश्यक सामग्री भामाशाहों से प्राप्त होती है।

मास्क सिलती सुप्रिया। (नियामत)

HANUMANGARH

Food Packets

5700

Ration Packets

280 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

9

Bail Applications

70

Bail Applciation POCSO/Children Courts

4

Legal Aid

80

Compensation Granted

0

Awareness Programmes

16

Number of Calls received –

9

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

4

Help Provided

2

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

92750

Payment to Para Legal Volunteers

35000

DISTRICT
JAIPUR METROPOLITAN

Awarness Programme through Mobile Van, Autos were organised.
Pamphlets and Broachers were distributed among the masses
Food Packets were made available to child labroros and other residing near Durgapura and Kanota area.

JAIPUR METROPOLITAN

Food Packets

300

Ration Packets

150 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

17

Bail Applications

140

Bail Applciation POCSO/Children Courts

0

Legal Aid

67

Compensation Granted

0

Awareness Programmes

0

Number of Calls received –

21

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

1

Help Provided

31821

Webinars

2

Payment to Panel Lawyers

620000

Payment to Para Legal Volunteers

12500

DISTRICT JAISALMER

वॉइस ऑफ

जैसलमेर जिले में प्रवासी श्रमिकों के लिए व्यापक स्तर पर बन्दोबस्त

आश्रय स्थलों में किया शिफ्ट, आवास, भोजन-पानी के प्रबन्ध सुनिश्चित

वॉइस ऑफ

कोरोना को लेकर जैसलमेर में स्थिति नियंत्रण में

जैसलमेर में खाद्य सामग्री का कोई अभाव नहीं - जिला कलेक्टर

एएनएम, डॉक्टर सहित कोरोना योद्धाओं की पीठ थपथपाई जिला कलेक्टर ने

राजस्थान री पाती

कोरोना री असर गायों माथै भी

जिला कलक्टर एवं एसपी ने पोकरण शहर में लिया हालातों का जायजा

शहर भ्रमण किया, विभिन्न भवनों का अवलोकन किया

अधिकारियों की बैठकें लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

कहा - हर स्तर पर बरती जाए सख्ती, पाबन्दियों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रहे

एसपी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और दिए निर्देश

Post Reg. Jodhpur/338/2017-19

पोकरण में कोरोना पोजिटीव रे सम्पर्क में आये लोग स्वेच्छा स्यूं आगे आ'र करावै आपरी जाँच

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शालेह मोहम्मद करी अपील

आखिर कद तांई ऊड़ती रेवै

JAISALMER

Food Packets

0

Ration Packets

0 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

0

Bail Applications

2

Bail Applciation POCSO/Children Courts

0

Legal Aid

9

Compensation Granted

500000

Awareness Programmes

12

Number of Calls received –

0

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

12

Help Provided

9

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

55000

Payment to Para Legal Volunteers

12000

DISTRICT JALORE

10 Informative Banners were placed on Public Places.
More than 6000 people were made aware.

डॉ. अंबेडकर एसोसिएशन ने जालोर में बांटे जरूरतमंदों को 100 राशन सामग्री के पैकेट

जालोर | डॉ. अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी ऐसोशियेशन जालोर के तत्वाधान में कोरोना प्रभावित लोगों को आहोर क्षेत्र के गांव गोदन, भैंसवाडा, उण, आहोर आदि गांवों में 100 राशन सामग्री के पैकेट वितरण किए गये। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के सचिव नरेन्द्र सिंह, कानाराम परमार, रजनी ब्रजेश, डॉ आरती मोहन, अमृतलाल दहिया, वैनाराम चौहान, दलाभाई राव आदि मौजूद रहे।

विधि सेवा प्राधिकरण की सहायता से सात बंदियों को मिली जमानत

भास्कर न्यूज | जालोर

कोरोना वायरस के चलते देशभर में लॉक डाउन के दौरान जिले की विभिन्न अदालतों में सामान्य कामकाज होते हुए भी जिला विधिक प्राधिकरण की सहायता से जेलों में बंद 7 बंदियों को जमानत मिली। जेल में बंद इन बंदियों की तरफ से किसी अधिवक्ता ने पैरवी नहीं की और ना ही किसी अधिवक्ता ने पेश की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों अनुसार विभिन्न जिलों में ऐसे विचाराधीन कैदी जो 7 वर्ष तक की कम सजा का आरोप है और उन पर एक प्रकरण से अधिक कोई प्रकरण नहीं था और जो राजस्थान का मूल निवासियों ऐसे बंदियों को चिन्हित किया गया। जिसके बाद जेल अधिकारियों से समन्वय करते हुए बंदियों की जमानत प्रार्थना पत्र तैयार करवाए और बंदियों के हस्ताक्षर करवाए तथा ईमेल से संबंधित न्यायालय में प्रेषित किए गए। बंदियों से संबंधित पुलिस रिपोर्ट भी ऑनलाइन ही ई मेल पर मंगवाई गई जिसकी एक प्रति संबंधित न्यायालय को प्रेषित की गई। इस प्रकार जिला विधिक प्राधिकरण जालोर की ओर से 8 बंदियों के जमानत प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालयों में पेश करवाए गए। जिसमें से 7 बंदियों को को जमानत स्वीकार की गई।

कोरोना को लेकर कोर

साप्ताहिक जेल विजिट कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश

दैनिक भास्कर | 24-Apr-2020 | जालोर Page 3

जालोर सिटी. जिला

कोरोना वॉरियर्स की सेवा के लिए न्यायाधीश आए आगे, हर रोज सुबह लाते हैं नाश्ता

राशन सामग्री के पैकेट वितरण किए गए

जोधपुर, शुक्रवार, 24 अप्रैल 2020 | 8

रु लहर

वेबेक्स के माध्यम से ली ऑनलाइन बैठक

मरुलहर न्यूज

जालोर। देशव्यापी लॉक डाउन के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बैठक आयोजन के दौरान डिजिटल माध्यम अपनाए जा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैनलिंग पैरालीगल वोलेंटियर्स की मिसकी वेबेक्स के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्रसिंह ने पैरालीगल वोलेंटियर्स को निर्देश दिये कि वे लॉक डाउन के नियमों का पालन करें तथा लोगों को इसका पालन करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर लोगों को राशन सामग्री और खाद्य सामग्री नहीं मिल रही हो तो प्रशासन को सूचित करें साथ ही उन्हें निर्देश दिये गये कि यदि किसी को कानूनी सहायता की आवश्यकता हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा नहीं सोये। इस दौरान उन्होंने पैरालीगल वोलेंटियर्स को लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक करें उन्हें सोशियल डिस्टेंसिंग रखने के लिए प्रेरित करें बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिये।

असहायों को भोजन दिया

जालोर, (कार्स)। जिला कारागृह जालोर के कर्मचारियों ने लॉक डाउन के चलते जागनाथजी रोड़ गांव नारणावास में भोजन वितरण किया।

विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश नरेंद्र सिंह द्वारा लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक रहने आदि की जानकारी व गांव में बाहरी व्यक्ति की सूचना प्रशासन को देने सम्बंधित दिशा निर्देश दिए। जेल स्टॉफ द्वारा लगातार चौथे दिन शनिवार को जरूरतमंदों लोगों भोजन करवाया। मास्क वितरित किये।

डॉ. गिरिशंकर नागर, डॉ. मदन सिंह राठौड़, मेल नर्स इरफान खान, एएनएम अनीता व्यास ने भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में और कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर जेलर अब्दुल सईद अंसारी, वरिष्ठ लिपिक भागीरथ राम, हेड कांस्टेबल राजू सिंह, मनीष मीणा, जेल प्रहरी मनोज मीणा, मुकेश मीणा, मुकेश, सुनीता, दिनेश, विनोद सहित अन्य स्टॉफ मौजूद रहा।

आहोर क्षेत्र में जरूरतमंदों को राशन सामग्री बांटी

JALORE

Food Packets

650

Ration Packets

860 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

1

Bail Applications

15

Bail Applciation POCSO/Children Courts

1

Legal Aid

17

Compensation Granted

30,00,000

Awareness Programmes

28

Number of Calls received –

15

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

06

Help Provided

1638

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

23000

Payment to Para Legal Volunteers

4500

DISTRICT JHUNJHUNU

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं को श्री राणी सती जी मंदिर में बनाये गये आइसोलेशन वार्ड में उचित साफ–सफाई, बाथरूम में साबुन, झाड़ू आदि उपलब्ध नहीं होने मच्छर होने, कम मात्रा में भोजन सामग्री उपलब्ध करवाने आदि की शिकायत प्राप्त हुई जिसपर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर को उक्तानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा तुरंत प्रभाव से सभी व्यवस्थाएं/सुविधाएं सुनिश्चित की गयी नगर परिषद आयुक्त को निर्देशित किया गया साबुन, टूथपेस्ट आदि आइसोलेशन वार्ड में उपलब्ध करवाये।

Awareness Programmes

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 15 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

Number of Beneficiaries :- 6000

IEC Material

जिला मुख्यालय झुंझुनूं पर न्यायालय परिसर/कलेक्ट्रेट परिसर पर तथा तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय/न्यायालय परिसरों में फ्लेक्स लगावाये गये हैं तथा जिला मुख्यालय के सभी सरकारी कार्यालय परिसरों में पोस्टर चिपकवाये गये हैं इसके अलावा 5000 पम्पलेट्स आंगनबाड़ी कार्यकता, सीएमएचओ कार्यालय, प्राधिकरण कर्मचारियों के माध्यम से आमजन में वितरित करवाये गये हैं।

Ration Distridution & Beneficiaries

जिला प्रशासन झुंझुनूं, भामाशाहों तथा एनजीओ के सहयोग झुंझुनूं जिले में राशन सामग्री का वितरण किया गया।

न्याय सबके लिए: जरूरतमंदों को पहुंचा रहे राशन सामग्री

झुं.न्यूज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान राशन सामग्री वितरित की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती मधु हिसारिया ने बताया कि श्रीमान चंचल मिश्रा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आपदा पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है। सोशल डिसटेंसिंग को ध्यान में रखते हुए निर्धन समाज वर्ग की हरसंभव सहायता का प्रयास किया जा रहा है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं द्वारा लगातार जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन सामग्री वितरित की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्मिक भी हरसंभव सहायता का प्रयास कर रहे हैं। प्राधिकरण सचिव ने कहा कोई भी गरीब तबके का व्यक्ति, आर्थिक संसाधन विहीन, पीड़ित जो राशन क्रय नहीं कर पा रहा हो वो प्राधिकरण को सूचित कर सकता है।

बाल विवाह रोकने हेतु आवश्यक बैठक आयोजित

झुंझुनूं न्यूज। अक्षय तृतीया (आखातीज) 26 अप्रैल व इसके उपरान्त पीपल पूर्णिमा 7 मई पर्व के अवसर पर अबूझ सावा होने के कारण बाल विवाहों के आयोजन की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। यह संभावित है कि इस दिन कुछ लोग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाहों के आयोजन के लिए तत्पर हों। इस सामाजिक बुराई की रोकथाम हेतु जन सहभागिता की महति आवश्यकता होती है।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती मधु हिंगोरिया ने बताया कि भारत में और विशेषकर राजस्थान में बच्चों की छोटी उम्र में शादी की कुरीति को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बना कर लागू किया गया है जिसमें लड़के की आयु 21 वर्ष से कम और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है, तो उन्हें बालक माना गया है। यदि विवाह के समय लड़का या लड़की दोनों में से कोई वयस्क नहीं है, तो ऐसा विवाह बाल विवाह होने से अपराध माना गया है। यदि कहीं पर भी बाल विवाह किया जाता है, तो विवाह में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष तक का कारावास/एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बाल विवाह एक संज्ञेय अपराध है पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग करेगा। यह कानून प्रत्येक सम्प्रदाय और प्रत्येक धर्म पर समान रूप से लागू होता है। आमजन से आशा है कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त प्रशासनिक एवं पुलिस इकाईयों के साथ आगे आ कर इस कुरीति को जड़ से खत्म करने हेतु एकजुट होकर प्रयासरत हो ताकि इस देश को इस कुरीति से निजात मिल सके। यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान बाल विवाह रूकवाने में प्रशासन को सहयोग देवे तभी इस अभियान की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। आमजन से आशा है कि यदि कहीं पर भी बाल विवाह होने की सूचना हो तो उसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं के हेल्पलाईन नम्बर 8306002128 पर सूचित करें।

लॉक डाउन अवधि के दौरान 16 बंदियों की हुई जमानत

[illegible]

कारागृह का निरीक्षण किया

झुंझुनूं पत्रिका

बंदी पहुंचे अपने घर, फोन करो घर आएगा ट्रैक्टर

राष्ट्रदूत

लॉक डाउन के दौरान 52 आवेदनों में से 16 बंदियों को मिली जमानत

झुंझुनूं। जेलों में भीड़ कम करने की मुहिम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं की ओर से जिले की अधीनस्थ अदालतों में 52 जमानत प्रार्थना पत्र पेश करवाए गए जिनमें से 16 में जमानत हो गई। खास बात यह रही कि इन मामलों में वकीलों की ओर से बहस नहीं हुई। न्यायालय ने ही जमानत प्रार्थना पत्र, पुलिस रिपोर्ट, लोक अभियोजक रिपोर्ट के आधार पर करीब 19 की परिस्थितियों के तहत फैसला किया। इनमें से मजिस्ट्रेट कोर्ट में 35 और जिला कोर्ट व एडीजे कोर्ट में जमानत के 17 मामले पेश हुए। ये प्रार्थना पत्र 31 मार्च से 9 अप्रैल के बीच पेश हुए। कोरोना के कारण अत्यावश्यक मामले ही सुने जा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मधु हिंदोलिया ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्देशानुसार उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना में पहली बार अपराध करने वाले विचाराधीन बंदियों व सात वर्ष की सजा तक के प्रावधान वाले बंदियों को जमानत प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय किया था। इसके तहत 16 बंदियों को जमानत मिली।

जरूरतमंदों को लॉकडाउन और कर्फ्यू में पहुंचा रहे हैं राशन सामग्री

न्यायपालिका बनी जरूरतमंदों की मददगार

मदद • भोजनस में 100 से अधिक परिवारों को खाद्य सामग्री के किट वितरित

मदद के लिए न्यायिक अधिकारी भी आगे आए, खाद्य सामग्री के पैकेट बांटे

झुंझुनूं में लॉकडाउन में जरूरतमंदों को पहुंचा रहे राशन सामग्री

झुंझुनूं,(निसं)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को कोविड वैश्विक महामारी के दौरान राशन सामग्री वितरित की जा रही है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मधु हिंदोलिया ने बताया कि चंचल मिश्रा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आपदा पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति देशव्यापी लॉकडाउन में भूखा नहीं रहे इसे ध्यान में रखते हुए राशन सामग्री वितरण का कार्य किया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर, दिहाड़ी मजदूर व गरीब, जरूरतमंदों को राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

झुंझुनूं में कर्फ्यू की स्थिति को देखते हुए कमजोर तबके को न्यायपालिका सहयोग प्रदान कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए निर्धन तबका वर्ग की हरसंभव सहायता का प्रयास किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं सचिव मधु हिंदोलिया द्वारा लगातार जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन सामग्री वितरित की जा रही है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्मिक भी जरूरतमंदों के लिए हरसंभव सहायता का प्रयास कर रहे हैं। प्राधिकरण सचिव हिंदोलिया ने कहा की कोई भी गरीब तबके का व्यक्ति, आर्थिक संसाधन विहीन, पीड़ित जो राशन क्रय नहीं कर पा रहा हो वो प्राधिकरण को सूचित कर सकता है। लॉकडाउन व कर्फ्यू में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता का प्रयास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

राष्ट्रदूत Fri, 10 April 2020 epaper.rashtradoot.com

कारागृहों का निरीक्षण किया

झुंझुनूं,(निसं)। झुंझुनूं जिले में स्थित कारागृहों का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण कर बंदियों को वर्तमान में कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचाने एवं क्षमता से अधिक बंदी होने पर उन्हें अन्य जेल में स्थानान्तरित करने हेतु किया गया। निरीक्षण के दौरान कारागृहों की जांच कर यह देखा गया कि कहीं क्षमता से अधिक व्यक्तियों की मौजूदगी से संक्रमण का खतरा है अथवा नहीं, कारागृहों में निरुद्ध व्यक्तियों के रहने के लिए समुचित स्थान उपलब्ध है अथवा नहीं, शयन हेतु पर्याप्त दूरी है अथवा नहीं, खुला स्थान भी पर्याप्त उपलब्ध है अथवा नहीं, इत्यादि की जांच की जाकर क्षमता से अधिक बंदियों के निरुद्ध होने पर उन्हें अन्य उचित स्थान पर स्थानान्तरित करने हेतु संबंधित विभागों को पत्र प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया गया। कारागृहों के अधिकारीगण को कारागृहों में निरुद्ध बंदियों के स्वास्थ्य की समय-समय पर जांच व निरीक्षण करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये तथा कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव हेतु उचित प्रबंध किये जाने के निर्देश प्रदान किये ताकि कारागृहों में निरुद्ध बंदियों को संक्रमित होने से बचाया जा सके।

राष्ट्रदूत

Food Packets

110347

Ration Packets

649106 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

6

Bail Applications

73

Bail Applciation POCSO/Children Courts

8

Legal Aid

115

Compensation Granted

6,00,000

Awareness Programmes

84

Number of Calls received –

16

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

10

Help Provided

337431

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

77500

Payment to Para Legal Volunteers

10500

DISTRICT JODHPUR METRO

181 Bail Applications of jail inmates were filed before concerned Courts.
19 Juveniles were released on Supardgi.
Regular Inspection of Homes is being Carried out to ensure sanitation and medical ssistance during this period.

JODHPUR METRO

Food Packets

280

Ration Packets

130 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

19

Bail Applications

181

Bail Applciation POCSO/Children Courts

0

Legal Aid

126

Compensation Granted

0

Awareness Programmes

0

Number of Calls received –

12

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

25

Help Provided

468

Webinars

4

Payment to Panel Lawyers

54000

Payment to Para Legal Volunteers

14000

DISTRICT KARAULI

दिनांक 21.03.2020 से ऑटो रिक्शा के माध्यम से लाउड स्पीकर के द्वारा तथा कोराना से बचाव व इसके ईलाज के पम्पलेट/ब्रोशर इत्यादि विभिन्न स्थानों पर वितरित किया जाकर प्रचार प्रसार किया गया।

सम्प्रेषण गृह करौली में हाईक्लोफ्लोराईट का छिडकाव कराया जाकर सेनेटराईजेशन कराया गया व बच्चों को सेनेटाईजर व साबुन से बार–बार हाथ साफ करने हेतु प्रेरित किया गया।

जिला करागृह करौली का निरीक्षण कर बंदियों को माननीय रालसा से प्राप्त पम्पलेट/ब्रोशर का वितरण कर कोरोना वायरस के लक्षण व इससे बचाव के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

दिनांक 28.03.2020 को अपना घर बालगृह हिण्डौन सिटी का निरीक्षण कर कोरोना वायरस के लक्षण व बचाव की जानकारी प्रदान कर उन्हे पम्पलेट/ब्रोशर वितरित किये गये।

अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के संबंध में साप्ताहिक मीटिंग का आयोजन किया गया।

लॉक डाउन के दौरान पक्षियों के लिए परिन्डे लगवाये गये

A Number of Beneficiaries :

1. लगभग 45,000 आमजन को कोराना वायरस से बचाब की जानकारी प्रदान की जाकर लाभांवित किया गया।
2. जिला कारागृह करौली व उपकारागृह हिण्डौन में निरूद्ध बंदियों के जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र भरवाये गये जिनमें 26 बंदियों को रिहा किया गया।

IEC Material if Prepared :

आमजन में कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी प्रदान किये जाने हेतु बैनर तैयार करवाये जाकर विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लगवाये गये तथा माननीय रालसा से प्राप्त पम्पलेट/ब्रोशर को विभिन्न स्थानों पर बंटवाया गया।

Ration Distribution :

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली एवं तालुका विधिक सेवा समितियों पर जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए भोजन पैकेटों का वितरण किया गया।

राशन सामग्री के पांच सौ पैकिट वितरित किये

[illegible]

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए कार्रवाई

सात बंदी जमानत पर रिहा

कोरोना संक्रमण : अब मोबाइल पर दर्ज होगी शिकायत

[illegible]

इसी निर्देश के अनुसार 7 बंदियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। [illegible]

[illegible] नम्बर 8306002130 शुरू किया गया है। [illegible]

मजिस्ट्रेट व वकीलों ने बांटे भोजन पैकिट

श्रीमहावीरजी. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली एवं तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में मंगलवार को घुमंतु व जरूरतमंदों को रसद सामग्री वितरण की गई। समिति अध्यक्ष सिविल न्यायायिक मजिस्ट्रेट राजीव [illegible] ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद को खाना मुहैया कराना सम्पन्न वर्ग की जिम्मेदारी है। इसके लिए जिला विधिक प्राधिकरण के निर्देशन में कस्बे में तालुका विधिक सेवा समिति ने 500 भोजन पैकेटों का वितरण किया। इस मौके पर एडवोकेट [illegible] गुर्जर, ओमप्रकाश शर्मा, [illegible] राकेश स्वामी मौजूद रहे।

श्रीमहावीरजी. भोजन पैकिट वितरण करते न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव [illegible]

KARAULI

Food Packets

752

Ration Packets

312 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

0

Bail Applications

26

Bail Applciation POCSO/Children Courts

0

Legal Aid

15

Compensation Granted

745000

Awareness Programmes

-

Number of Calls received –

8

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

1

Help Provided

1032

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

141950

Payment to Para Legal Volunteers

27000

DISTRICT KOTA

लॉकडाउन की अवधि के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा द्वारा ऑनलाईन विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरीये पैनल अधिवक्तागण के साथ मिटिंग का आयोजन किया गया तथा जमानत के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की गयी।

विधिक सेवा प्राधिकरण ने की ऑनलाइन मीटिंग

कोटा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप के माध्यम से पैनल अधिवक्ता से मीटिंग का आयोजन किया। इसमें प्राधिकरण के 20 अधिवक्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में भुवनेश शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता ने जमानत के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की। गैर जमानती अपराधों में अग्रिम जमानत के प्रावधानों के बारे में बताया। किशोर न्याय अधिनियम में अग्रिम जमानत प्रावधानों के बारे में बताया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैनल अधिवक्ता सोनल विजय, बृजेश जोशी, ज्योति गौड़, अरूणा पाटनी, ममता शर्मा, पुष्पलता मालवीया, असलम अंसारी, महेन्द्र सिंह हाड़ा, शबनम, देवेन्द्र मीणा, दीपिका अरोड़ा ने विधिक चर्चा में भाग लिया।

दैनिक भास्कर

विधिक सेवा प्राधिकरण ने की ऑनलाइन मीटिंग

76 विचाराधीन बंदी जमानत मुचलके पर छोड़े

नवज्योति/कोटा

अदालत ने पिछले 14 दिन में विचाराधीन 76 बंदियों की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया। जिला विधिक प्राधिकरण की तरफ से कोर्ट में 171 बंदियों के प्रार्थना -पत्र पेश किए गए। अदालत ने शेष प्रार्थना पत्रों की जमानत प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेन्द्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय के 23 मार्च के आदेश की पालना में विचाराधीन बंदियों को चिन्हित किया गया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय कारागृह, कोटा, उप- कारागृह, रामगंजमंडी, सांगोद के अधिकारियों से समन्वय कर पीएलवी मनोज कुमार वर्मा द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र तैयार करवाकर तथा बंदियों के हस्ताक्षर करवाकर ड्यूटी न्यायालय में पेश करवाया गया। कोटा की अधीनस्थ अदालतों में 171 जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुए। उनमें से 76 में जमानत भी हो गई। इन मामलों में न वकील था और न ही कोई बहस करने वाला। न्यायालय ने ही जमानत प्रार्थना पत्र, पुलिस रिपोर्ट और लोक अभियोजक की लिखित बहस के आधार पर फैसला किया। जमानत प्रार्थना पत्र की कॉपी पुलिस और लोक अभियोजक को पहले ही दे दी गयी थी, जिससे अपराधी की रिपोर्ट भी न्यायालय में सुनवाई से पहले पहुंच गई। इनमें से मजिस्ट्रेट कोर्ट में 148 और जिला एवं सत्र न्यायालय अथवा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों (एडीजे कोर्ट) में 23 जमानत के मामले पेश हुए। शेष जमानत अर्जियों पर आगे की तारीख दे दी गई।

जरूरतमंदों को दिए भोजन पैकेट

नवज्योति/कोटा

लोक डाउन के दौरान मजदूरो एवं गरीबों एवं अन्य परिस्थितियों में फंसे व्यक्तियों, मजदूरों के लिए माला रोड, पुरोहित जी की टापरी व आस-पास के क्षेत्रों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेन्द्र कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में पैनल अधिवक्ता भुवनेश कुमार शर्मा के सहयोग से फूडस् पैकेट का वितरण किया गया।

विधिक प्राधिकरण ने वितरित किया भोजन

लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के लिए माला रोड, पुरोहितजी की टापरी व आस-पास के क्षेत्रों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा के तत्वावधान में महेन्द्र कुमार अग्रवाल सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा की उपस्थिति में पैनल अधिवक्ता भुवनेश कुमार शर्मा के सहयोग से फूडस् पैकेट का वितरण किया गया।

गरीब श्रमिकों को भोजन बांटा

नवज्योति/कोटा

[illegible]

जरूरतमंदों को बांटा भोजन

[illegible]

केन्द्रिय कारागृह का निरीक्षणः–

भोजन पैकेट का वितरण

Food Packets

700

Ration Packets

40 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

15

Bail Applications

330

Bail Applciation POCSO/Children Courts

16

Legal Aid

394

Compensation Granted

0

Awareness Programmes

2

Number of Calls received –

24

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

2

Help Provided

724

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

783250

Payment to Para Legal Volunteers

42500

DISTRICT MERTA

5 Retired Doctors have been deputed to advice over telephone/whats app.
Auto drive to raise awareness through audio clippings is being done.
Banners were places in public places to raise awareness.

मदद के लिए तत्पर संस्थाएं

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लिया खाद्य सामग्री पैकिंग-वितरण व्यवस्था का जायजा

मेड़ता। खाद्य सामग्री पैकिंग व्यवस्था का निरीक्षण करती प्राधिकरण सचिव डॉ. शर्मा। -आरिफ अंसारी

मेड़तासिटी। जरूरतमंदों के लिए खाद्य सामग्री को कि जा रही व्यवस्थाओं का बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. सिम्पल शर्मा ने पालिका सामुदायिक भवन पहुंचकर निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस दौरान एसडीएम के.आर चौहान, नगर पालिका चेयरमैन कलाम अली मिर्जा, सांसद दर्शन कार्यक्रम जिला संयोजक जगदीश शर्मा ने प्राधिकरण सचिव एसीजेएम डॉ. शर्मा को जरूरतमंद को वितरण की जा रही खाद्य सामग्री व्यवस्था से अवगत कराने के साथ बताया कि 18 से 31 मार्च तक भोजन पैकेट व्यवस्था मीरा इवेन्ट एसो. के द्वारा की जा रही थी, बुधवार से भोजन पैकेट की भी व्यवस्था कोविड 19 सहायतार्थ सेवा समिति की ओर से शुरू कर दी गई। प्राधिकरण सचिव एसीजेएम डॉ. शर्मा ने वार्ड में वार्ड 27 में समिति की ओर से जरूरतमंदों को वितरित की जा रही खाद्य सामग्री वितरण व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। वहीं दूसरी ओर कोविड 19 सहायतार्थ सेवा समिति मेड़ता की ओर पालिका सामुदायिक भवन में जरूरतमंदों के लिए 15 दिनों की खाद्य सामग्री किट पैकिंग का कार्य लगातार जारी है, जहां पर समिति सदस्यों के साथ गौतम टाक, नंदकुमार अग्रवाल, इब्राहिम शकील रिज़वी, पवन भाटी, गोपाल दाधीच, अय्यूब कलाम अली कुरैशी, पार्षद खान देशवाली, कैलाश गौड़, अशोक जोशी, जुबेर उस्मानी, ताराचंद सैन, मानक सैन, जवाहरलाल दाधीच, किशन वाल्मीकि आदि ने सेवाएं दी।

विधिक सेवा प्राधिकरण का जागरूकता अभियान शुरू

मेड़ता सिटी. कोरोना जागरूकता अभियान का शुभारंभ करते।

भास्कर संवाददाता | मेड़ता सिटी (आंवलिया)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश भुवन गोयल के निर्देशानुसार संक्रमित जानलेवा नोवल कोरोना वायरस के संबंध में शनिवार को आमजन को जागरूक करने के लिए जागृति अभियान शुरू किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नगर पालिका के सहयोग से कचरा संग्रहण वाहनों पर बैनर लगा कर एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से कोरोना वायरस के बारे में जागृति को लेकर विशेष गाना तैयार करवाया गया है। जो आमजन को जागरूक करेगा। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रामदेव सान्दू ने वाहन को हरी झण्डी दिखाकर प्रचार-प्रसार के लिए रवाना किया।

मेड़ता सिटी (आंवलिया)। निकटवर्ती गांव चंपाखेड़ी में आयुर्वेद औषधालय की ओर से कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर काढ़ा तैयार किया गया। इस मौके पर आयुर्वेद चिकित्सालय के कम्पाउंडर सोहनलाल ने ग्रामीणों को कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। इस दौरान सुभाषसिंह, दिलीपसिंह, हनुमानसिंह, विजयसिंह, भैरूसिंह, शिवप्रकाश सिंह आदि ने काढ़ा निर्माण एवं वितरण में सहयोग प्रदान किया।

Food Packets

61951

Ration Packets

21324 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

11

Bail Applications

38

Bail Applciation POCSO/ Children Courts

0

Legal Aid

51

Compensation Granted

0

Awareness Programmes

10

Number of Calls received –

385

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

5

Help Provided

14420

Webinars

2

Payment to Panel Lawyers

11000

Payment to Para Legal Volunteers

6250

DISTRICT PRATAPGARH

राजकीय बाल सम्प्रेषण गृह प्रतापगढ का निरीक्षण किया

लॉक डाउन के दौरान असहाय व्यक्तियों व बच्चों को भोजन एवं बिस्किट वितरण

लॉक डाउन के दौरान पैदल यात्रियों का कुशलगढ़ जाने से स्क्रीनिंग एवं प्रशासनिक अधिकारीगण को निर्देश।

लॉक डाउन के दौरान प्राधिकरण की पहल पर गरीब असहाय महिला की मेडिकल जांच कर निवास तक गांव में पहुंचाया गया तथा भोजन की व्यवस्था की

प्रतापगढ न्यायाक्षेत्र में नियुक्त अधिकारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा अधीक्षक जिला कारागृह प्रतापगढ़ द्वारा असहाय व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई।

जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित पाल ग्राम व आसपास की ढाणियों के 120 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया गया।

छोटी सादड़ी से पैदल ही सिर पर सामान रखकर पीपलखूंट के रास्ते कुशलगढ़ एवं पाटन की ओर जाने वाले दैनिक मजदूरों एवं परिवारों की मेडिकल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागृह प्रतापगढ़ का निरीक्षण किया गया तथा बन्दियों के जमानत आवेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में जेल अधीक्षक से वार्ता की गई। बन्दियों को सोश्यल डिस्टेंसिंग के विषय में जानकारी प्रदान की गई। बन्दियों को अधिक से अधिक मास्क का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

अहमदाबाद से पलायन कर आए गरीब मजदूरों की मेडिकल टीम द्वारा कोरोना से संबंधित विशेष स्क्रीनिंग कराई गई। यह स्क्रीनिंग सीतामाता अभ्यारण्य के पाल ग्राम में पीएचसी ग्यासपुर की टीम द्वारा की गई जिसमें किसी भी मजदूर में कोरोना लक्षण नहीं पाए गए।

अहमदाबाद से आए मजदूरों की कोरोना से संबंधित विशेष मेडिकल स्क्रीनिंग की गई।

PRATAPGARH

Food Packets

1680

Ration Packets

120 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

0

Bail Applications

30

Bail Applciation POCSO/ Children Courts

0

Legal Aid

30

Compensation Granted

0

Awareness Programmes

0

Number of Calls received –

4

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

4

Help Provided

90

Webinars

2

Payment to Panel Lawyers

79000

Payment to Para Legal Volunteers

0

DISTRICT RAJSAMAND

कोरोना संक्रमण (कोविड 19) को महामारी घोषित किये जाने से माननीय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद द्वारा कारागृह में निरूद्ध बंदियों को कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु कारागृह में भीड़ कम करने के उद्देश्य से जमानत आवेदन प्रस्तुत करने की पहल की गयी। इस क्रम में धारा 437 सीआरपीसी के तहत जमानत आवेदन पत्र संबधित न्यायालय के समक्ष पेश किये गये जिस पर 53 जमानत आवेदन पत्रों को स्वीकार कर बंदियों को रिहा किया गया।

इसी प्रकार किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम धारा 12 के तहत विधि से संघर्षरत बालक जो संप्रेषण गृह राजसमंद में निरूद्ध है के 03 जमानत/सुपुर्दगी आवेदन पत्र किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिस पर 03 जमानत/सुपुर्दगी आवेदन पत्र स्वीकार होकर विधि से संघर्षरत बालक को परिजनो के सुपुर्द किया गया तथा संप्रेषणगृह में निरूद्ध 07 बालकों के जमानत आवेदन पत्र किशोर न्याय बोर्ड, उदयपुर तथा 03 जमानत आवेदन पत्र किशोर न्याय बोर्ड बांसवाड़ा को प्रेषित किये गये।

बचाव के लिए कारागृह में भीड़ कम करने की कवायद

न दलील न वकील, पांच बंदियों का मिली जमानत

पत्रिका

न दलील न वकील, 5 बंदियों को मिली जमानत

dainikbhaskar.com

कोरोना इफेक्ट : बिन दलील और वकील के न्यायालय ने 5 बंदियों को दी जमानत

''लॉक डाउन के दौरान बाहर से आने वाले लोगों को राजसमंद– उदयपुर बॉर्डर पर स्थित टोल नाके पर फूड पैकेट्स का किया गया वितरण''

राजसमंद न्यायक्षेत्र के न्यायिक अधिकारी के सहयोंग से फूडपैकेट्स की आपूर्ति हेतु दिनांक 29.03.2020 को 06:30 पी.एम. बजे श्री गिरीश कुमार शर्मा, अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द द्वारा वाहन को हरी झण्डी दिखाकर राजसमंद– उदयपुर बोर्डर पर स्थित टोल नाके पर बाहर से आने वाले मजदूरों तथा अन्य आम जन को फुड पैकटस वितरण हेतु रवाना किया गया।

इसके पश्चात् जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय आर.के. अस्पताल, राजसमंद में भी आवश्यकतानुसार अस्पताल में भर्ती मरीजों, गांवों में जरूरतमंद लोगों को फूट पैकट्स का वितरण किया गया।

दैनिक भास्कर

31-Mar-2020
राजसमन्द Page 14

न्यायिक अधिकारियों ने राजसमंद-उदयपुर बॉर्डर स्थित टोल नाके पर लोगों को बांटे भोजन के पैकेट

कोरोना 360°

सभी कर रहे है अपने-अपने तरीके से सहयोग

'' कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुये प्राधिकरण सचिव के निर्देशानुसार जिला कारागृह में क्षमता से अधिक बंदियों को उपकारागृह बिलाड़ा तथा केन्द्रीय कारागृह में किया गया स्थानान्तरित''

राजसमंद उक्त जेल की बंदी क्षमता मात्र 55 बंदियों की है। जबकि वक्त निरीक्षण कुल 122 बंदी इस प्रकार जिला कारागृह में क्षमता से दोगुने से अधिक बंदी निरूद्ध पाये गये। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के प्रयोजनार्थ दिनांक 18.03.2020 को उप महानिरीक्षक कारागृह उदयपुर को क्षमता से अधिक बंदियों को अन्यत्र शिफ्ट करने हेतु लिखा गया था जिसके अनुसरण में उप महानिरीक्षक कारागृह द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 76282–381 दिनांक 18.03.2020 के जरिये जिला कारागृह राजसमंद के 75 बंदियों को उपकारागृह बिलाड़ा जिला जोधपुर में स्थानान्तरित करने के आदेश दिये गये है साथ ही उपकारागृह भीम जिसकी बंदी क्षमता मात्र 7 बंदियों की है एवं जहां कुल 12 बंदी निरूद्ध है में से 7 बंदियों को जिला कारागृह राजसमंद में शिफ्ट करने के आदेश दिये गये।

कोरोनों वायरस की संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला कारागृह व उप कारागृह के प्रवेश द्वारा पर सेनेटाइजर/ हेण्डवॉस आदि से प्रवेश करने वाले व बाहर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति हाथ आवश्यक रूप से धुलवाये जाने के निर्देश दिये गये। जिला कारागृह व उप कारागृह के परिसर के दरवाजे, टेबल, कुर्सी ताले चाबी कुंदे हत्थे, ग्रिल नल आदि को हाइपोक्लोराइट से दिन में 3 बार साफ करवाये जाने के निर्देश दिये गये। बंदियों के बिस्तर आदि 2–3 घंटे धुप में रखे जा रहे है तथा बंदियों द्वारा भी पर्याप्त धूप का सेवन किया जा रहा है।

RAJSAMAND

Food Packets

887

Ration Packets

1223 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

3

Bail Applications

53

Bail Applciation POCSO/Children Courts

0

Legal Aid

4

Compensation Granted

3255000

Awareness Programmes

56

Number of Calls received –

28

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

14

Help Provided

57

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

5500

Payment to Para Legal Volunteers

500

DISTRICT
SAWAI MADHOPUR

More than 10,000 people made aware about Covid-19.

Bail Application of 55 jail inmates have been filed before concerned Courts.

SAWAI MADHOPUR

Food Packets

0

Ration Packets

9 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

10

Bail Applications

55

Bail Applciation POCSO/Children Courts

8

Legal Aid

36

Compensation Granted

1387000

Awareness Programmes

0

Number of Calls received –

33

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

9

Help Provided

69

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

45000

Payment to Para Legal Volunteers

17000

DISTRICT SIKAR

Food Packets

45000

Ration Packets

57000 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

7

Bail Applications

85

Bail Applciation POCSO/Children Courts

6

Legal Aid

103

Compensation Granted

575000

Awareness Programmes

26

Number of Calls received –

4

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

17

Help Provided

1845

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

521600

Payment to Para Legal Volunteers

43000

DISTRICT TONK

Bail Applications of jail inmates were filed before concerned Court wherein 8 applications were allowed and inmates were released on bail.

Face Masks were made available to all Jail Inmates.

5 Juveniles were released on Supardgi.

Pamphlets and Broachers were disseminated with the help of news hawker.

More than 600 Food Packets were distributed among the poor and needy persons.

निराश्रितों को उपलब्ध कराई जायेगी राहत सामग्री

जमानत पर रिहा किए बंदी

जेल में हुई बिना वकील के सुनवाई

कारागृह में भीड़ कम करने के प्रयासों में तेजी, 8 बंदी रिहा, 7 साल तक के कारावास वाले बंदी रिहा होंगे

कारागृहों में कोरोना के संक्रमण के बचाव एवं भीड़ कम करने के लिए बंदियों की जमानत आवेदनों पर सुनवाई

विधिक सेवा प्राधिकरण ने गरीबों को बांटे भोजन के पैकेट

मजदूर, गरीब, दैनिक वेतन भोगी लोगों को भोजन के पैकेट बांटे

भवन व परिसरों को सेनेटाईज कराया

Food Packets

300

Ration Packets

133 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

6

Bail Applications

23

Bail Applciation POCSO/Children Courts

0

Legal Aid

16

Compensation Granted

2025000

Awareness Programmes

0

Number of Calls received –

60

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

06

Help Provided

478

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

166750

Payment to Para Legal Volunteers

18000

DISTRICT
UDAIPUR

NO FOOD & WATER – 36 hours. Around 11000 labourers with family in misery.

Food, water and medicine availability during mass exodus to the needy unorganized sector.

Fleeing from their homesalong with children, they survived on water and biscuits for days

Finally food & water provided to the needy children, senior citizens, helpless unorganized labourers, physically challenged

Help arrived in form of DLSA to everyone.

Finally Medical help also made available to helpless humanity after days of scare.

Hiatus from hunger, fear and need- by DLSA.

Respite after Five days and nights of witnessing trauma and terror through food, water & medication

24X7 food, water and medical facility available–plight of needy made us work- DLSA

अब जनसेवा को भी आगे आए जज, आठ न्यायाधीशों ने पांच दिनों में 10000 जरूरतमंदों को बांटे फूड पैकेट्स

उदयपुर। लॉकडाउन में जरूरतमंदों को दो वक्त का खाना देने के लिए समाज-संस्थाओं के साथ-साथ जज भी आगे आए हैं। 8 जजों ने पांच दिनों में गुजरात से पलायन कर आए 10000 मजदूरों को फूड पैकेट्स और पानी वितरण किया। यही नहीं, मजदूरों का पलायन बंद होने के बाद अब शहर और आस-पास के क्षेत्रों में जरूरतमंद से गरीबों को राशन सामग्री दे रहे हैं। जजों का कहना है कि खाद्य सामग्री वितरित करने में एमबी हॉस्पिटल के डॉक्टर राजवीर साथ में थे, जो लोगों का मेडिकल चैकअप भी कर रहे थे। एडीजे रिद्धिमा शर्मा ने बताया कि पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जरूरतमंदों की सहायता के लिए कदम बढ़ाया गया था। इसके बाद अन्य पीठासीन अधिकारी भी साथ में आए और उन्होंने भी इसमें योगदान दिया। योगदान देने में एडीजे-4 धीरज शर्मा, फैमिली कोर्ट न्यायाधीश स्वाकांत, एसएसटीडी कोर्ट न्यायाधीश ममता, जेएम रूपेंद्र चौहान, रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट के न्यायाधीश नीरज गुप्ता और एससी एसटी कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश नागौरी थे। रिद्धिमा शर्मा ने बताया कि सामने आया था कि गुजरात से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर उदयपुर की तरफ आ रहे हैं और उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से टीम तैयार की और खाने के पैकेट्स तैयार किए। बलीचा चौराहे पर पहुंच लोगों को पैकेट्स और पानी दिया गया। 26 मार्च को कार्यक्रम शुरू किया था, इसके बाद सभी न्यायाधीश भी साथ आए और 30 मार्च तक वितरण किया।

न्यायाधीशों ने इस तरह लोगों से की अपील

- **न्यायाधीश ममता व्यास** : कुछ समय अकेले रह लो, बीती यादों के सहारे जी लो, रास्ते यूं ही न चलो, दोस्तों को यूं ही ना मिलो, अपने लिए ही ना सही, दूसरों के लिए अकेले जी लो।
- **न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर) रूपेन्द्र चौहान** : लॉकडाउन से लाखों मजदूर पलायन कर रहे हैं जिनके भोजन के लिए व्यवस्था नहीं थी और रोटी का संकट आन पड़ा है। वर्तमान परिस्थितियों में समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति का ये दायित्व है कि वह समाज के इन लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें।
- **राशन सामग्री बांटने की शुरुआत** : रिद्धिमा शर्मा ने बताया कि मजदूरों का पलायन समाप्त होने और प्रशासन से उनके लिए व्यवस्था करने के बाद अब शहर के अन्य स्थानों को चिन्हित किया है। लोगों को राशन सामग्री दी जाएगी। गुलाब की कच्ची बस्ती में 250 किलो आटा और 50 किलो दाल वितरित की है।

रहे भामाशाह

न्यायाधीशों ने किया भोजन वितरण

अपर जिला सेशन न्यायाधीश रिद्धिमा शर्मा व अन्य ने गुजरात एवं महाराष्ट्र से राजस्थान में आने वाले 2500 मजदूरों को फूड पैकेट वितरित किए और 200 कैम्पर पानी की व्यवस्था की। शर्मा के साथ न्यायाधीश धीरज शर्मा, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के डॉ. राजवीर एवं फूड डोट के दीपक परिहार बलीचा चौराहे पर पहुंचे और उनके लिए जल व भोजन की व्यवस्था की।

ये भी जुटे हैं सहायता करने में

श्री अग्रवाल वैष्णव समाज एवं श्री अग्रवाल दिगम्बर जैन पंचायत के तत्वावधान में आलोक नगर स्थित अग्रवाल भवन में अग्र समाज कोरोना रसोई से सुबह शाम पैकड़ी खाने के पैकेट वितरित किये जा रहे हैं। दोनों पंचायत के अध्यक्ष संजय ...

उदयपुर . शहर की कच्ची बस्तियों के लोगों तथा दिहाड़ी मजदूरों तक मां मात शंकर फाउण्डेशन, नई दिल्ली की ओर से सोमवार से राशन सामग्री के किट पहुंचाए जाएंगे। संस्थापक सुष्मित ... बताया कि इस किट में 4... आटा पैकेट, चाय पत्ती, दाल...

कार्यकर्ताओं ने 25 से 29 मार्च तक लॉकडाउन अवधि में श्रमिकों व भूख से बेहाल लोगों को 3733 भोजन पैकेट्स वितरित किए। पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष रविन्द्र श्रीमाली ने बताया कि 25 मार्च को 215 भोजन पैकेट वितरित किये गये। 26 मार्च सुबह 421 व रात्रि में 437 पैकेट्स, 27 मार्च सुबह 603 व रात्रि में 725 पैकेट्स, 28 मार्च सुबह 607 लोगों को भोजन के पैकेट और 29 मार्च रात्रि को भी 725 पैकेट वितरित किये गए। भोजन पैकेट सभी मंडलों में वितरण किए गए। नगर निगम वार्ड 21 की पार्षद राजकुमारी गन्ना ने 500 भोजन

मजदूरों व बच्चों को बांटे खाने के पैकेट्स

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने भामाशाह के सहयोग से गुजरात एवं महाराष्ट्र से फैक्ट्रियों से निकाले गए मजदूरों एवं उनके बच्चों को खाने के पैकेट वितरित किए। प्राधिकरण की सचिव रिद्धिमा शर्मा ने बताया कि गुजरात व महाराष्ट्र से आने वाले लोगों ने बताया कि वे पिछले 12 से 16 घंटे लगातार सफर करते हुए पहुंचे हैं। सिर्फ बिस्किट व पानी से दिन निकाले हैं। मजिस्ट्रेट शर्मा ने बताया कि बलीचा तिराहे पर गरीब मजदूरों के लिए रसोई चलाए जाएगी। शर्मा ने बताया कि इन मजदूरों के बारे में सूचना पर आरएनटी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉ. राजवीर के साथ बलीचा तिराहे पहुंचे। चिकित्सक ने मजदूर परिवारों को कोरोना वायरस के लक्षण एवं बचाव के उपाय बताए। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने फूड डोट के प्रोपराइटर दीपक परिहार द्वारा उपलब्ध करवाए 400 फूड्स पैकेट बांटे।

...! किसानों को अब ...

मौजूद थे।

सिख समाज की ओर से जरूरतमंदों को राशन वितरण के लिए कलेक्टर को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। प्रवक्ता रविंद्र पाल सिंह कप्पू ने बताया कि गुरुवार को सिख संगत सिख कॉलोनी गुरुद्वारा सचखंड दरबार के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह सलुजा, सचिव दशनीत सिंह, उपाध्यक्ष देवेंद्र पाल सिंह रोजी आदि ने यह चेक कलेक्टर को सौंपा।

सर्राफा एसोसिएशन उदयपुर के निर्देशन में प्रतिदिन 3000 भोजन पैकेट बांटे जा रहे हैं।

रिद्धिमा शर्मा एडीजे एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर ने गुजरात एवं महाराष्ट्र से फैक्ट्री मालिकों द्वारा निकाले गए मजदूरों एवं उनके बच्चों को बलीचा चौराहे पर निशुल्क 400 फूड पैकेट वितरित किए गए। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के डॉ. राजवीर ने मजदूर परिवारों को बताए कोरोना वायरस के लक्षण एवं बचने के उपाए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

Food Packets

98250

Ration Packets

14850 Packs

Bails b/f JJBs / CWCs

50

Bail Applications

320

Bail Applciation POCSO/Children Courts

30

Legal Aid

25

Compensation Granted

10075000

Awareness Programmes

10

Number of Calls received –

203

Inspections of Homes/ Shelter Homes /

9

Help Provided

113838

Webinars

1

Payment to Panel Lawyers

60500

Payment to Para Legal Volunteers

0

PUBLICATIONS

PUBLICATIONS

आइसोलेशन में व्यक्ति की देखभाल करें।

- देखभाल कर्ता हमेशा मास्क पहनकर ही होम आइसोलेटेड व्यक्ति के समीप जाए।
- जहां संभव परिवार के बाकी सदस्य अलग कमरे में रहे, यदि ऐसा संभव नहीं हो तो कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखें।
- होम आइसोलेशन व्यक्ति का विवरण चिन्हित रखने में सहयोग करें।
- घर के जिन साझा स्थानों का उपयोग होम आइसोलेटेड व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो, वहीं खिड़की, रोशनदान इत्यादि खुले रखें।

कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए किसे मास्क पहनना चाहिए?

- बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को मेडिकल मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है।
- वरन् साबुन पानी से हाथ धोना, खांसते–छींकते समय मुंह को ढकना, आंख, नाक मुंह को छूने से बचना तथा खांसने–छींकने वाले व्यक्ति से एक मीटर की दूरी बनाना ही पर्याप्त है।

कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए कैसे मास्क पहनना चाहिए?

- मेडिकल मास्क या तीन परत युक्त डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क वायरस से सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य कर्मियों एवं पेरा मेडिकल कर्मियों द्वारा उपयोग किया जाना उचित है।
- एन–95 अथवा 99 मास्क की आवश्यकता केवल संक्रमित रोगियों के सम्पर्क में आने वाले मेडिकल, स्वास्थ्य कर्मियों एवं पेरा मेडिकल कर्मियों द्वारा किया जाना चाहिए।
- मेडिकल मास्क का उपयोग अधिकतम 8 घंटे तक किया जा सकता है।
- यदि यह गीला जाता है तो इसे तुरन्त बदलना चाहिए।

कोरोना से बचाव के 3 महत्वपूर्ण सूत्र

- खुद की सुरक्षा
- आपके प्रियजनों की सुरक्षा
- आपके समुदाय की सुरक्षा

खुद की सुरक्षा–

- साबुन–पानी से बार–बार एवं नियमित रूप से हाथ धोएं
- जब साबुन पानी उपलब्ध नहीं हो, तो एल्कोहल युक्त सेनेटाईजर का उपयोग करें
- अपने आंख–नाक व मुंह को छूने से बचें
- खांसते एवं छींकते व्यक्ति से न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाए रखें
- हाथ से सम्पर्क के स्थान पर नमस्ते अथवा आदाब कर अभिवादन करें

आपके प्रियजनों की सुरक्षा–

- अपने हाथ पर खांसने अथवा छींकने से बचें/रूमाल एवं टिशू का उपयोग करें अथवा बाजू को मोड़कर उसके अन्दरूनी सतह से मुंह को ढके।
- अनावश्यक भ्रमण न करें व भीड़–भाड़ से बचें।
- यदि आप बीमार हैं या किसी बीमार की देखभाल कर रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें।

आपके समुदाय की सुरक्षा–

- यदि कोई बीमार है तो चिकित्सकीय उपचार का परामर्श दें
- यदि किसी को बुखार, खांसी अथवा सांस की कठिनाई हो तो घर के भीतर रहने दें अथवा स्वास्थ्य कर्मियों से सम्पर्क की सलाह दें

अधिक जानकारी के लिए

अपने क्षेत्र के चिकित्सा विभाग कंट्रोल रूम/ऐसा नम्बर से 24x7 हेल्पलाइन नं. +91-11 23978046 का फोन करें या ई-मेल करें ncov2019@gmail.com

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

द्वारा जनहित में प्रकाशित

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

Rajasthan High Court Campus, Jaipur 302005

COVID-19 क्या है?

COVID-19 एक संक्रमण है, जो सीधे अथवा संक्रमित व्यक्ति/वस्तु के सम्पर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह संक्रमण श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है जैसे नाक, गला, फेफड़े आदि।

कोरोनावायरस के प्रारंभिक लक्षण क्या है?

- सर्दी
- जुकाम
- बुखार
- खांसी
- सांस लेने में तकलीफ

(नोवल कोरोनावायरस का संक्रमण निम्न परिस्थितियों में संभव है– वायरस प्रभावित क्षेत्र जैसे चीन, ईरान, इटली, कोरिया इत्यादि से भ्रमण का इतिहास, संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में होना, स्वास्थ्य केन्द्र/लेब जहां पर कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों को लाया गया हो, वहां जाने से बचें)

कोरोनावायरस कैसे फैलता है?

संक्रमित व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमण फैला सकता है, जो आंख, नाक एवं मुंह के रास्ते से छींक/खांसी की बूंदों के माध्यम से फैलता है और संक्रमित वस्तुओं, चीजों व अन्य सामान को छूने से भी फैलता है।

कोरोनावायरस से बचाव के उपाय क्या है?

- जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाए।
- हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करें।
- छींकते और खांसते समय नाक और मुंह ढके, ढकने में प्रयोग किए गए टिशू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें।

- नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोएं।
- भीड़–भाड़ वाले जगह से बचें, अनावश्यक यात्रा न करें।
- यदि खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ है तो शासकीय चिकित्सक से उपचार लें।
- संक्रमित व्यक्ति से कम से कम 01 मीटर की दूरी बनाए रखें।
- खांसते वक्त कोहनी मोड़कर मुख के सामने रखें।

कोरोनावायरस का किसी को संक्रमण हो तो वह क्या करें?

- कोरोनावायरस के लक्षण सामान्यतः संक्रमण से 2–14 दिनों में उत्पन्न होते हैं। ऐसे में बुखार, जुकाम/सर्दी, गले में खराश होने पर घबराना नहीं चाहिए एवं निम्न उपचार अपनाना चाहिए–
- दिन में 2–3 बार भाप लेना चाहिए, ताकि श्वास तंत्र का संक्रमण/कम हो
- पर्याप्त पानी पीना चाहिए एवं आराम करना चाहिए
- बार–बार साबुन पानी से हाथ धोने से संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है।
- निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र का चिकित्सीय सलाह लेना चाहिए।
- डॉक्टर के परामर्श अनुरूप दवाएं लेना चाहिए।

कोरोनावायरस के संभावित संक्रमण में होम आइसोलेशन–

परिभाषा–

कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जन के बचाव एवं वातावरण में विषाणु के प्रसार की संभावना को रोकने की दृष्टि से, कोरोना से प्रभावित देशों की यात्रा करके लौटे व्यक्तियों का विचरण उनके घर तक सीमित करने हेतु होम आइसोलेशन कहलाता है।

पात्र व्यक्ति कौन हैं?

- ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने 01 जनवरी के बाद चीन या अन्य प्रभावित देशों की यात्रा की हो (लक्षण नहीं होने पर)
- ऐसे व्यक्ति जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण के कोई भी लक्षण जैसे सर्दी, खांसी बुखार इत्यादि हो, परन्तु चिकित्सक द्वारा होम आइसोलेशन की सलाह दी गयी हो।

होम आइसोलेशन में क्या करना है?

- व्यक्ति एक अलग कमरे में रहें जो हवादार तथा स्वच्छ हो।
- व्यक्ति 28 दिवस तक घर पर ही रहे एवं व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक रहें।
- खांसते व छींकते समय रूमाल का उपयोग करें।
- नियमित रूप से हाथ धोएं और ऐसे प्रयोग किए कपड़ों/रूमाल/गमछा इत्यादि को साबुन डिटर्जेंट से धोएं।
- अधिक मात्रा में तरल पदार्थ लेते रहना है।
- लक्षण उत्पन्न होने पर पैरामेडिकल कर्मी तत्काल फोन पर जिला नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला सर्विलेन्स अधिकारी को सूचित करें।

क्या नहीं करना है?

- भीड़ वाले स्थान में जाने से बचें
- घर के साझा स्थान जैसे– किचन, हॉल इत्यादि का उपयोग कम से कम करें।
- परिवार के अन्य सदस्यों के निकट सम्पर्क में न आएं।
- बार–बार अपना चेहरा, नाक या आंखें न छुएं।
- घर में अतिथि या अन्य बाहरी व्यक्तियों को आमंत्रित न करें।
- ईधर–उधर न छींकें/थूकें।
- यथा संभव ढक्कन वाले बर्तन में ही थूकें, जिससे छींटों से होने वाले संक्रमण की संभावना को कम से कम किया जा सके।

परिजनों को क्या करना है/क्या नहीं करना है?

- यथा संभव परिवार के कम से कम सदस्य ही होम

Note :

Rajasthan State Legal Services Authority

Rajasthan High Court Campus, Jaipur - 302005

Phone : 0141 - 2227481, 2227602(Fax) Helpline Number : 9928900900

Email: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, Website: www.rlsa.gov.in

facebook - rslsa.rajasthan, Twitter @LeglAidRajasthan, Instagram legalaidrajasthan